शासनादेश संख्या 2955/छः–पु0–9–2011–31 (1)/2012

दिनांक 11 जनवरी, 2012 का संलग्नक

प्रपत्र संख्या .....

(Form No.....)

उत्तर प्रदेश राज्य के लिए मृत्यु पश्चात् शव विच्छेदन आख्या प्रपत्र

(Post-mortem Examination Report Form for Uttar Pradesh State)

संस्था का नाम दिनांक .....

शव विच्छेदन आख्या संख्या

(Post-mortem Examination Report No.)

शव विच्छेदन परीक्षण करने वाले चिकित्सा अधिकारी/अधिकारियों का नाम एवम् तैनाती का स्थान शव को प्राप्त करने का समय एवम् दिनांक, अन्वेषण प्रपत्रों की संख्या सहित शव विच्छेदन परीक्षण को प्रारम्भ करने का समय एवम् दिनांक

शव विच्छेदन परीक्षण को पूरा करने का समय अन्वेषण हेतु शव के परीक्षण का दिनांक और समय (अन्वेषण आख्या के अनुसार)

शव परीक्षण की वीडियो रिकार्डिंग करने वाले व्यक्ति का नाम एवम् पता

प्रकरण का विवरण

1 (अ) मृतक का नाम

(सम्बन्धित कारागार या पुलिस अभिलेख के अनुसार)

(आ) पुत्र/पुत्री/पत्नी

(इ) पता

2. उम्र (लगभग)..... वर्ष लिंग पुरूष/महिला/अन्य

3. शव लाने वाले एवम् पहचान कराने वाले पुलिस कर्मी का नाम एवम् पद

1.)

2.)

थाना

4. पहचान/शिनाख्त कराने वाला (सम्बन्धियों/व्यक्तियों का नाम एवम् पता)

1.)

2.)

अस्पताल से प्राप्त शवों के प्रकरण में (अस्पताल के अभिलेखों के अनुसार विवरण)

अस्पताल में भर्ती होने का दिनांक एवम् समय

अस्पताल की केन्द्रीय पंजीकरण संख्या तथा उपचार सारांश

निरीक्षण का सूची पत्र

क) सामान्य

1.) ऊँचाई ..... (से.मी.) 2.) वजन ..... किलोग्राम

3. शारीरिक बनावट (अ) छरहर्रा / मध्यम / मोटी

आ) अच्छी काठी / औसत काठी / दुर्बल काठी / क्षीण काया

4. पहचान के चिन्ह (यदि शव अज्ञात है तो संलग्न प्रपत्र को भरें)

i)

ii)

iii) अलग पृष्ठ पर अंगुलियों के निशान लेकर चिकित्सा अधिकारी के द्वारा संलग्न किया जाए।

5. पहने हुए वस्त्रों का विवरण– महत्वपूर्ण आकृति / लक्षण

6. शव में मृत्यु पश्चात् परिवर्तन (Post-mortem Changes)

अ) अन्वेषण के समय की स्थिति (As seeen during Inquest)

मृत्यु पश्चात् अकड़न की उपस्थिति

तापमान (रेक्टल)

विघटन से हुए एवम् अन्य परिवर्तन

आ) शव विच्छेदन परीक्षण के समय की स्थिति

7.अ) बाह्य सामान्य दिखावट (External General Appearance)

आ) नेत्रों, मुखगुहा, जीभ तथा नाखूनों की दशा

इ) प्राकृतिक द्वार (Natural Orifices)

ख) बाह्य चोटें –

(प्रत्येक चोट की लम्बाई X चौड़ाई X गहराई, आकार तथा प्रकार एवम् महत्वपूर्ण शारीरिक सीमा चिन्हों से सम्बन्ध / दूरी का उल्लेख करें। चोटों के ताजी अथवा पुरानी होने एवम् पुरानी चोटों की अवधि का उल्लेख करें) सभी चोटों का फोटोग्राफ,

अलग–अलग संख्या सहित तथा दोनों कान के निचले हिस्से तथा ठुड्डी से स्केल के द्वारा दूरी नापते हुए लें, इसके अलावा फन्दे के निशान के प्रकरण में भी फोटोग्राफ लें, फन्दे के निशान लगने से छूटे हुए भाग का भी फोटोग्राफ अवश्य लें।

निर्देश : (Instructions)

i) चोटों का उल्लेख क्रम संख्या सहित करें तथा संलग्न रेखा चित्र में दर्शायें।

ii) भोंके हुए घाव (Stab Injuries) में कोण किनारा और शरीर के अन्दर दिशा का उल्लेख करें।

सभी चोटों में अन्दर के अंग जैसे रक्त वाहिनियां, तंत्रिकायें तथा धमनियों के क्षतिग्रस्त होने का उल्लेख अवश्य किया जाएगा।

iii) आग्नेयास्त्र की चोटों में गोली के प्रभाव का भी उल्लेख करें तथा पहले रेडियोग्राफ लें फिर खोलें।

ग.) आन्तरिक परीक्षण

1. सिर **(Head)**

अ) कर्परायण **(Scalp)**

आ) करोटि **(Skull)** (यहां की दशा का वर्णन करें तथा संलग्न शरीर के रेखा चित्र मे दर्शायें)

इ) झिल्लियां, झिल्लियों के मध्य रिक्त स्थान तथा मस्तिष्क की रक्तवाहिनी (रक्तस्राव एवम्, इसकी स्थिति, असामान्य गंध इत्यादि का भी उल्लेख करें)

ई) मस्तिष्क (Brain) की दशा एवम् वजन (वजन..... ग्राम)

उ) कोटर नासिका तथा कर्णगुहा–दशा

(Orbital, Nasal and Aural Cavities-Findings)

2. ग्रीवा **(Neck)**

मुख जीभ तथा ग्रसनी

(Mouth, Tongue and Pharynx)

कण्ठ नली तथा स्वर ग्रन्थि

(Larynx and Vocal cords)

ग्रीवा के आन्तरिक ऊतकों की स्थिति

थायरॉयड एवम्

अन्य उपास्थियों की स्थिति

श्वास नली – हायड अस्थि

(Trachea - Hyoid Bone)

3. छाती **(Chest)** –

पसलियाँ तथा भित्तियाँ

(Ribs and Chest wall)

निगल **(Oesophagus)**

श्वासनली तथा वायु प्रणाली के कोष्ठक

(Trachea and Bronchial Tree)

परिफुफ्फुस **(Pleura)**

परिफुफ्फुस गुहा **(Pleural Cavities)**

फेफड़ों की स्थिति **(Lung findings)** तथा वजन दाहिना .....ग्राम और बायां .....ग्राम

परिन्कन तथा परिन्कन झिल्ली

(Pericardium and Pericardial Sac.)

हृदय स्थिति तथा वजन

(Heart findings and Wt.)

बड़ी रक्तवाहिनियां **(Large Blood Vessels)**

4. उदर **(Abdomen)**

– उदरभित्ति की दशा **(Condition of Abdominal wall)**

– उदरच्छेद और उदरच्छेद कूप **(Perinoteum and Peritonial cavity)**

– आमाशय (भित्ति की दशा, अर्न्त वस्तुएं और गन्ध)

Stomach (wall condition, contents and smell)

– छोटी आंत अपेन्डिक्स सहित **(Small Intestine including Appendix)**

– बड़ी आंत मेजेन्ट्रिक वाहिनी सहित

(Large Intestines and mesenterc vessels)

– यकृत पित्ताशय सहित (वजन .....ग्राम)

(Liver including Gall Bladder)

– प्लीहा **(Spleen)** (वजन .....ग्राम)

अग्न्याशय **(Pancreas)**

गुर्दे दशा और वजन दाहिना .....ग्राम और बांया.....ग्राम

(Kidneys finding)

मूत्राशय और मूत्रवाहिनी

(Urinary Bladder and Urethra)

वस्तिगुहा के ऊतक **(Pelvic Cavity Tissues)**

वस्तिप्रदेश की अस्थियां **(Pelvic Bones)**

जननांग **(Genital Organs)** (योनि, अण्डकोष, बाह्य पदार्थ की उपस्थिति, भ्रूण, वीर्य या किसी अन्य तरल पदार्थ की उपस्थिति तथा जननांगों के अन्दर और आसपास नील निशान, और खंरोच की उपस्थिति का उल्लेख करें)

– योनि/गर्भाशय/गुदा/मुख से नमूना एकत्र करना चाहिए तथा लैंगिक उत्पीड़न के प्रकरण में अंगुलियों के नाखून से ऊतकों का नमूना और स्तन का स्वाब लें।

5. **रीड़ की छल्ला तथा मेरुरज्जु (वहीं खोलिए जहां आवश्यक हो)**

(Spinal Column And Spinal Cord) (To be Opened where indicated)

6. जहां संभव हो, आमाशय की अर्न्तवस्तुओं की दशा से निकाला गया। मृत्यु का संभावित समय तथा अन्तिम भोजन का विस्तृत विवरण, अन्य विषेष विवरण सहित।

अभिमत :

1. मृत्यु का संभावित समय (Times since death) (अन्वेषण के समय किए गए निरीक्षण सहित सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए)

i) मृत्यु का कारण और प्रकार **(Cause and Manner of Death)** मेरे ज्ञान और निष्कर्ष के आधार पर मृत्यु का कारण निम्न है –

अ. तत्कालिक कारण।

(Immediate Cause)

आ. वजह से **(Due to)** –

इ. चोटों में कौन सी चोट मृत्यु पूर्व/मृत्यु पश्चात की है तथा अवधि यदि मृत्यु पूर्व की चोट है?

ई. चोटों के कारित होने की रीति क्या स्वयं कारित की गयी है। हाँ/ना

उ. क्या चोटें (एकल या समेकित) स्वभाविक रूप से विकसित होने पर मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है।

ऊ. लक्षणों के प्रारम्भ होने का संभावित समय (केवल विष के प्रकरण में)।

iii) कोई अन्य **(Any other)**

नमूना एकत्र किया और अग्रसारित किया (कृपया सही का निशान लगायें)

(SPECIMENS COLLECTED AND HANDED OVER) (Please Tick)

अ. विसरा (आमाशय अर्न्तवस्तु सहित, छोटी आंत अर्न्तवस्तु सहित, यकृत का नमूना, गुर्दा (प्रत्येक का आधा), प्लीहा, पट्टी के टुकड़े में रक्त का नमूना (सूखा) कोई अन्य विसरा, उपयोग में लाया गया प्रिजरवेटिव

आ. वस्त्र

इ. फोटोग्राफ (हिरासत मृत्यु के प्रकरण में वीडियो कैसेट), फिंगरप्रिन्ट इत्यादि।

ई. बाह्य पदार्थ (जैसे बुलेट, फन्दा इत्यादि)

उ. विष के प्रकरण में प्रिजरवेटिव का नमूना

ऊ. अज्ञात शवों के प्रकरण में डी0एन0ए0 मिलान हेतु नमूना।

ए. अज्ञात शवों के प्रकरण में दोनों नमूना एकत्र करें।

ऐ. सील का नमूना

ओ. अन्वेषण प्रपत्र (कुल संख्या का उल्लेख करते हुए प्रत्येक को हस्ताक्षरित करें)

(Inquest Papers) (Mention Total Number and Initial them)

औ. योनि, वीर्य या किसी अन्य पदार्थ से बनी स्लाइडें (डी0एन0ए0 मिलान के लिए योनि/गर्भाशय/गुदा/मुख से लिया गया नमूना, लैंगिक उत्पीड़न के प्रकरण

में अंगुलियों के नाखूनों से लिया गया ऊतकों का नमूना और स्तन का स्वाब (स्वाब स्टेन नहीं करना चाहिए)

शव विच्छेदन परीक्षण आख्या की मूल प्रति **(Post-mortem Report in original)**.....अन्वेषण प्रपत्र, शव वस्त्र और अन्य .....

.....

(उल्लेख करें) सील बन्द (संख्या .....) पुलिस आरक्षी को हस्तगत किया जिसका नाम ..... आरक्षी क्रमांक ..... थाना ...

..... जिनके हस्ताक्षर यहां हैं .....

.....

हस्ताक्षर

चिकित्सा अधिकारी का नाम

(बड़े अक्षरों में).....

पदनाम .....

मुहर

Full Body: Male-Anterior and Posterior Views (Ventral and Dorsal)

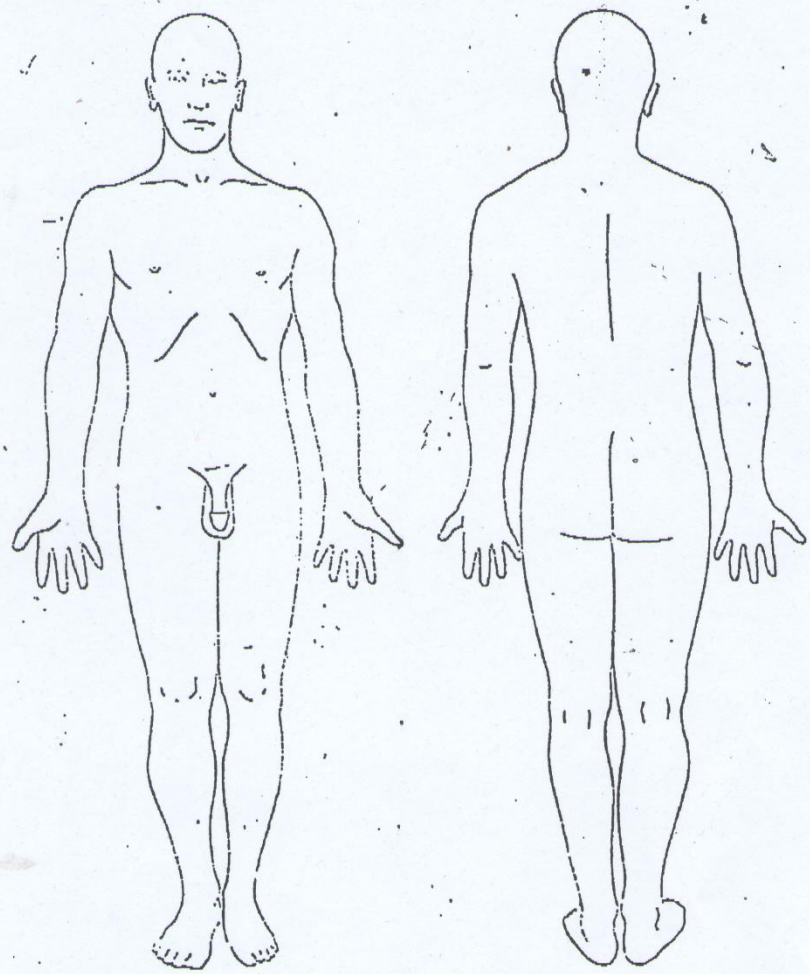

Name _____ Case No. _____

Date _____

Full Body: Female-Anterior and Posterior Views

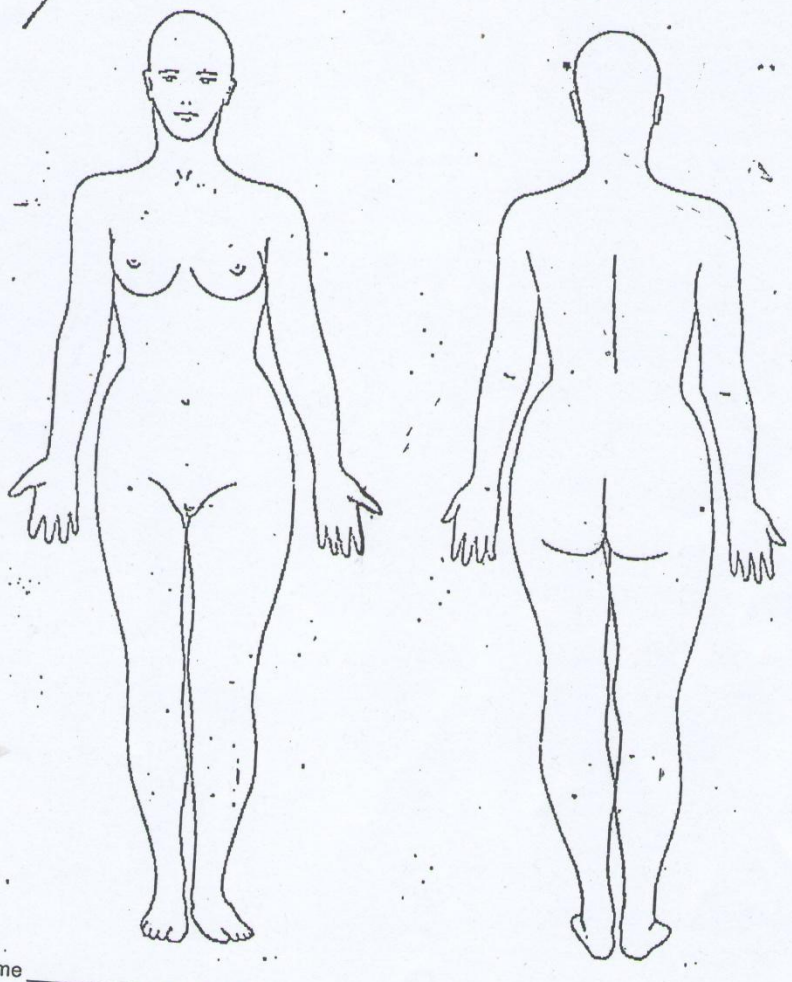

Name _____ Case No. _____

Date _____

Head - Surface and Skeletal Anatomy : Lateral view

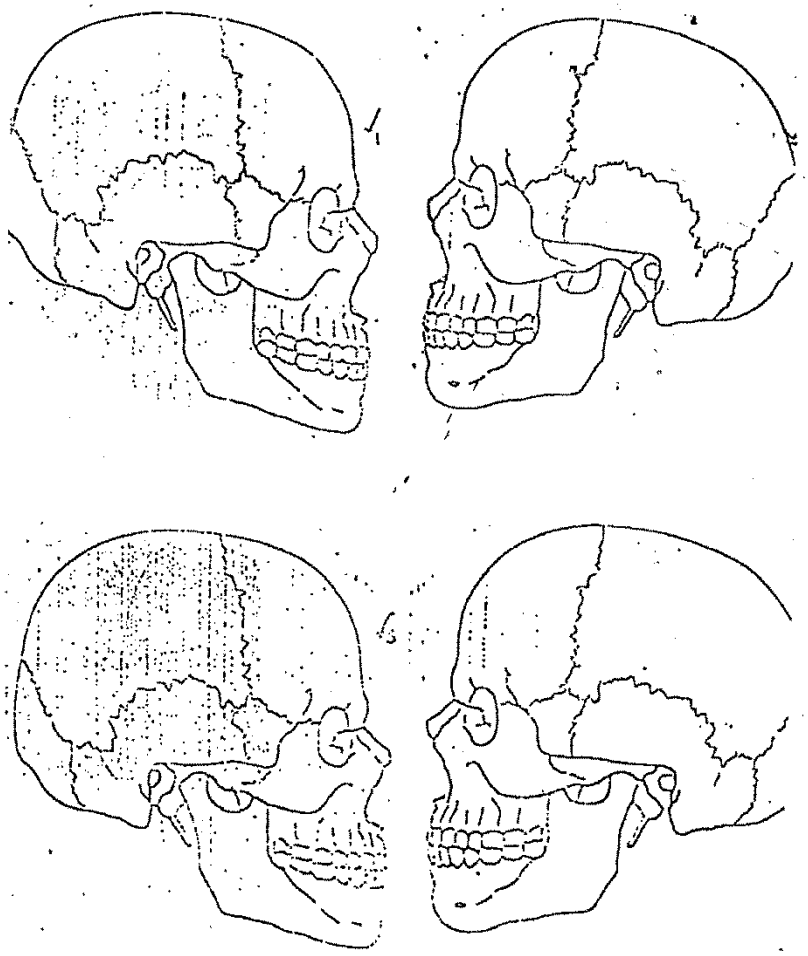

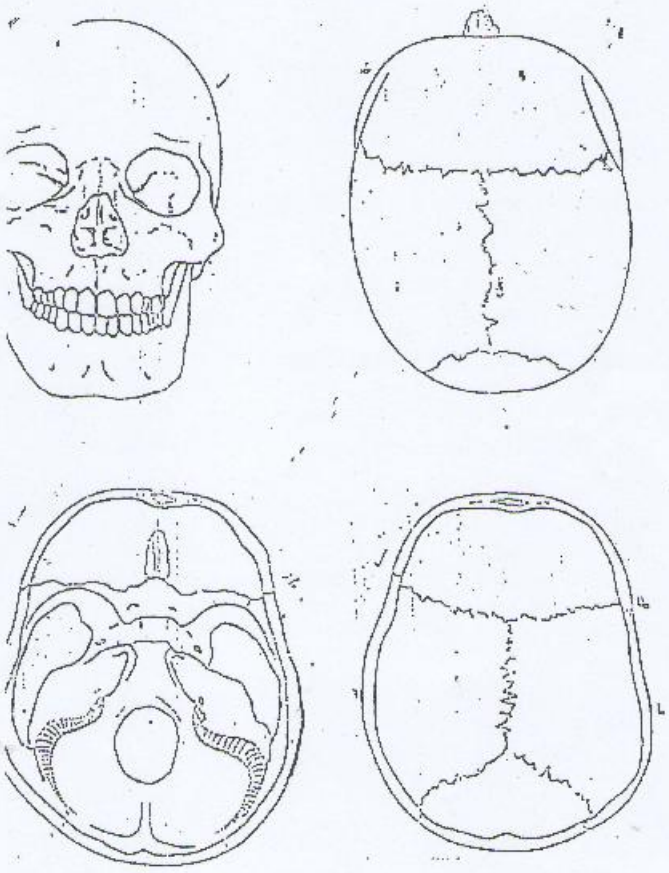

Inner View of Skull

चिकित्सा विधिक परीक्षण आख्या प्रपत्र–क

(लैंगिक उत्पीड़न/अपहरण/शिशु हत्या/अन्य)

(कृपया विश्व स्वास्थ्य संगठन के लैंगिक उत्पीड़न से सम्बन्धित चिकित्सा विधिक प्रकरणों के संदर्भ में दिए गए दिशा निर्देशों का अवलोकन करें)

भाग–क (स्त्रियों के लिए)

घटना का दिनांक व समय	
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/धारा/दिनांक	
थाना	
सहमति **(Consent)** दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 (क) की उप धारा (4) रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से यह अभिलिखित किया जायेगा कि क्या ऐसी परीक्षा के लिए स्त्री की सहमति या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति, अभिप्राप्त कर ली गयी है। **नोटः** (i)- माता पिता व सगे रिश्तेदार /अभिभावक (By Natural guardian/ Legal guardian) (ii)- सहमति के संबंध में विश्व स्वास्थय संगठन द्वारा दिये गये संलग्न निर्देशों (Notes on completing the consent form) के अनुरूप सहमति प्राप्त की जाये (प्रोफार्मा की प्रति संलग्न)। (iii)- सहमति स्त्री की भाषा में होनी चाहिए यदि स्त्री की भाषा ज्ञात नहीं है तो अनुवादक की व्यवस्था करनी चाहिए।	
परीक्षण प्रारम्भ करने का दिनांक एवं समय	
लाने वाले तथा पहचानने वाले का नाम तथा पता	
परीक्षण के समय उपस्थित सहायक का नाम पद सहित	
परीक्षण का स्थान	

(चिकित्सालय का नाम)	
स्त्री का नाम	
आयु	
जन्मतिथि (यदि ज्ञात हो)	
पता (स्थानीय)	
पता (स्थायी)	
पहचान के चिन्ह	
विवाहित / अविवाहित / अन्य (स्पष्ट उल्लेख करें)	
पिछली माहवारी की तारीख (L.M.P.)	
प्रसूति का इतिहास (Obstetric History)	

वर्तमान व्याधि यदि कोई है	
घटना का संक्षेप में विवरण	

परीक्षण (EXAMINATION)	
साधारण मानसिक दशा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 (क) की उप धारा (2) (v)	
सामान्य परीक्षण–	
क. चेतना का स्तर	

(Level of consciousness)		
ख. नाड़ी की गति (Pulse Rate)		
ग रक्तचाप (Blood Pressure)		
घ. ऊँचाई (Height)		
ङ भार (Weight)		
च. बाल (Hair)	कांख का बाल (Axillary Hair)	उपस्थिति / रंग / पतला / मोटा लम्बाई / मेटेड या नॉट मेटेड
	गुप्तांग के बाल (Pubic Hair)	उपस्थिति / रंग / पतला / मोटा
छ. स्तन		विकसित / अविकसित / संम्वर्धनशील
1. घटना के बाद वस्त्र बदलने का विवरण 2. घटना के पश्चात स्नान का विवरण 3. रक्त / वीर्य / कीचड़ / अन्य धब्बों की वस्त्रों पर उपस्थिति की यथास्थिति का वर्णन के साथ, अधो वस्त्रों यथा–ब्रा और पैन्टी आदि को हवा में सुखाने के पश्चात अलग–अलग कागज के लिफाफे में सील करें, इसी प्रकार अधो वस्त्रों के ऊपर पहने हुए वस्त्रों को दूसरे कागज के लिफाफे में सील करें।		
बाह्य परीक्षण – शरीर के किसी भी भाग में उपस्थित चोटों को अंकित करें। 1. चेहरा 2. भुजायें 3. पैर 4. पीठ 5. छाती 6. स्तन 7. अन्य		
आन्तरिक जननांग–गुदा परीक्षण		

(INTERNAL GENITO-ANAL EXAMINATION)	
1. मान्स प्यूबिस (Mon's Pubis)	
2. लैबिया मेजोरा (Labia Majora)	
3. लैबिया माइनोरा (Labia Minora)	
4. बेस्टिब्यूल (Vestibule)	
5. हाइमन (Hymen)	
6. पेरीनियम (Perineum)	
7. योनी (Vulva)	
8. भग (Vagina)	
9. वैजाइनल वाल्ट (vaginal vault)	
10. वैजाइनल फॉरनिक्स (vaginal fornix)	
11. क्लिटोरिस (Clitoris)	
12. पोस्टीरियर फारचेट (Posterior Fourchette)	
13. फोसा नेवीकुलेरिस (Fossa navicularies)	
14. पेरियूरेथ्रल (Peri urethral)	
15. सर्विक्स (Cervix)	
16. एक्टोसर्विक्स (ectocervix)	
17. सर्वाक्ल ओरिफिस (cervical orifice)	
18. गुदा द्वार (Anus)	
19. मलाशय (Rectum)	
20. मूत्रवाहिनी (Urethra)	
21. पूर्ण निश्चेतना के पश्चात (Under full GENARAL ANAESTHESIA.) किया गया परीक्षण (यदि आवश्यक हो)	
22. रक्तस्राव/अन्य स्राव (Haemorrhage/other discharge)	
नोटः– यदि बायोलॉजिकल स्थान नम हो तो शुष्क स्वाब तथा यदि बॉयोलॉजिकल स्थान शुष्क हो तो नम स्वाब (2–4 बूँद Distilled water) प्रयोग करना वांछित है।	

डी0एन0ए0 प्रोफाईल के लिए नमूना एकत्र करना (दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 (क) की उप धारा (2) (iii)– डी0एन0ए0 प्रोफाईल करने के लिए स्त्री के शरीर से ली गयी सामग्री का वर्णन)	
1. वेजाइनल स्मियर (Vaginal Smear)	
2. सर्वाइकल स्मियर (Cervical Smear)	
3. एनल स्मियर (Anal Smear)	
4. ओरल स्मियर (Oral Smear)	
5. ब्रेस्ट स्मियर (Breast Smear)	
6. जननांगों के बाल (Pubic Hair)	
7. नाखून की कतरन (Nail Clipping)	
8. डी0एन0ए0 हेतु अन्य नमूनें–यथा अण्डर गारमेन्टस (अन्तःवस्त–पैन्टी,ब्रा आदि), अधोवस्त्र, जैवीय पदार्थों (Biological Materials) आदि (डी0एन0ए0 प्रपत्र संलग्न) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 (क) की उप धारा (2) (vi) उचित ब्यौरे सहित अन्य तात्तिवक विशिष्टियॉ।	
नोट – 1. डी0एन0ए0 हेतु स्लाइड स्टेन नहीं करना चाहिए। 2. डी0एन0ए0 हेतु स्लाइड तथा स्वाब हवा में ही सुखायें।	
रेखाचित्र **1.** **2.** **3.** **4.** **5.**	
रेडियोलॉजिकल परीक्षण **(यदि आवश्यक हो)**	
1. एक्स–रे	

2. एम0आर0आई0 / अल्ट्रासोनोग्राफी (यदि जरूरी हो)		
पैथोलॉजिकल परीक्षण		
जैविक नमूना	यदि आवश्यक हो	
परीक्षण का दिनांक तथा समय		
कोई अन्य अन्वेषण / परीक्षण		
समस्त परीक्षण पूर्ण करने का दिनांक व समय		
[दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 (क) की उप धारा (3)] रिपोर्ट में संक्षेप में वे कारण अभिलिखित किये जायेंगे जिनसे प्रत्येक निष्कर्ष निकाला गया है।		

नोटः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 (क) की उप धारा (7) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि स्त्री की सहमति के बिना या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति की सहमति के बिना किसी परीक्षा को विधि मान्य बनाती है।

हस्ताक्षर
चिकित्सा अधिकारी का नाम
(बड़े अक्षरों में)
पद नाम (Designation)
मोहर (Seal)

फोरेन्सिक नमूना / जांच संबंधी सूची

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

फोरेन्सिक नमूना/जांच संबंधी सूची सम्बन्धित पुलिस कर्मी को सौंपी गयी।

हस्ताक्षर
विवेचना अधिकारी/पुलिस आरक्षी
का नाम एवं आरक्षी नम्बर
(बड़े अक्षरों में)
पदनाम/पद/थाना/जिला
दिनांक /समय .....

हस्ताक्षर
चिकित्सा अधिकारी का नाम
(बड़े अक्षरों में)
पद नाम (Designation)
मोहर (Seal)

नोट – यदि आवश्यक हो तभी उचित आधार पर ही चिकित्सा अधिकारियों के दल द्वारा पुर्नपरीक्षण किया जाना चाहिए।

पूरक चिकित्सा विधिक आख्या प्रपत्र (Supplementary Medico Legal Report)

प्रपत्र भाग – क

नाम	
पुत्री / पत्नी / अन्य	
निवासी	
थाना	
जिला	
मूल जांच का दिनांक तथा समय	
डी0एन0ए0 प्रोफाईल के लिए नमूना एकत्र करना (दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 (क) की उप धारा (2) (iii)– डी0एन0ए0 प्रोफाईल करने के लिए स्त्री के शरीर से ली गयी सामग्री का वर्णन)	
रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट	

अन्य आख्यायें (Other reports)	

आख्या का विस्तृत विवरण
(Detail of Reports)

अभिमत (Opinion)

संलग्नक (Enclosures)

दिनांक/स्थल/समय

हस्ताक्षर
चिकित्सा अधिकारी का नाम
(बड़े अक्षरों में)
पद नाम (Designation)
मोहर (Seal)

प्रतिहस्ताक्षरित
वरिष्ठ चिकित्साधिकारी का नाम
(बड़े अक्षरों में)
पद नाम (Designation)
मोहर (Seal)

नोटः ऐसे प्रकरणों जो दलित उत्पीड़न अथवा अवयस्क के मामले है उनमें प्रतिहस्ताक्षर करवाना आवश्यक है। यदि चिकित्सक द्वारा प्रेषित की गयी पूर्व आख्या में कोई विरोधाभास पाया जाता है तो मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा चिकित्सकों का बोर्ड/कमेटी/पैनल बनाकर पुनः परीक्षण किया जाना आवश्यक होगा।

चिकित्सा विधिक परीक्षण आख्या प्रपत्र–क

(लैंगिक उत्पीड़न/अपहरण/शिशु हत्या/अन्य)

(कृपया विश्व स्वास्थ्य संगठन के लैंगिक उत्पीड़न से सम्बन्धित चिकित्सा विधिक प्रकरणों के संदर्भ में दिए गए दिशा निर्देशों का अवलोकन करें)

भाग–ख (पुरूषों के लिए)

घटना का दिनांक व समय	
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/धारा/दिनांक	
थाना	
सहमति (Consent)	
परीक्षण शुरू करने का समय एवं दिनांक	
परीक्षण का स्थान (चिकित्सालय का नाम)	
नाम	
आयु	
जन्मतिथि (यदि ज्ञात हो)	
पता (स्थानीय)	
पता (स्थायी)	

लाने वाले तथा पहचानने वाले का नाम तथा पता	
परीक्षण के समय उपस्थित सहायक का नाम पद सहित	
पहचान के चिन्ह	
विवाहित / अविवाहित / अन्य (स्पष्ट उल्लेख करें)	
वर्तमान व्याधि यदि कोई है –	
घटना का संक्षेप में विवरण	

परीक्षण (EXAMINATION)		
साधारण मानसिक दशा		
सामान्य परीक्षण		
क. चेतना का स्तर (Level of consciousness)		
ख. नाड़ी की गति (Pulse Rate)		
ग. रक्तचाप (Blood Pressure)		
घ. ऊँचाई (Height)		
ङ भार (Weight)		
च. बाल (Hair)	कांख का बाल (Axillary Hair)	उपस्थिति / रंग / पतला / मोटा लम्बाई / मेटेड या नॉट मेटेड
	गुप्तांग के बाल (Pubic Hair)	उपस्थिति / रंग / पतला / मोटा
1. घटना के बाद वस्त्र बदलने का विवरण 2. घटना के पश्चात स्नान का विवरण 3. रक्त / वीर्य / कीचड़ / अन्य धब्बों की वस्त्रों पर उपस्थिति अधो वस्त्रों (बनियान और अण्डरवियर) को सुखाने के पश्चात अलग–अलग कागज के लिफाफे में सील करें, इसी तरह अधो वस्त्रों के ऊपर पहने हुए वस्त्रों को दूसरे कागज के लिफाफे में सील करें।		
बाह्य परीक्षण – शरीर के किसी भी भाग में उपस्थित चोटों		

को अंकित करें। 1. चेहरा 2. भुजायें 3. पैर 4. पीठ 5. छाती 6. अन्य	
आन्तरिक जननांग–गुदा परीक्षण **(INTERNAL GENITO-ANAL EXAMINATION)**	
1. शिश्न	
2. लम्बाई – (1) संकुचित अवस्था में (Flaccid)	
(2) तनी हुयी अवस्था में (Erect) स्मेगमा (Smegma)	
3. प्रिप्यूस (Prepuce)	
4. खतना हुआ (Circumcised) या नहीं	
5. अन्य भाग पर चोट/या पीड़ित पुरूष को अन्य चोटें	
6. गुदा द्वार परीक्षण (Anal Examination)	
7. रक्तस्राव/अन्य स्राव (Haemorrhage/other discharge)	
डी0एन0ए0 प्रोफाईल के लिए नमूना एकत्र करना (दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 53 (A) की उप धारा (2) (iv)– डी0एन0ए0 प्रोफाईल करने के लिए पुरूष के शरीर से ली गयी सामग्री का वर्णन)	
1. एनल स्मियर (Anal Smear) यदि आवश्यक हो	
2. ओरल स्मियर (Oral Smear)	

यदि आवश्यक हो	
3. पेनाइल स्वाब (Penile Swab) (i) यूरेथ्रल मीथस (Urethral meatus) (ii) फ्रेनुलम (Frenulum) (iii) ग्लान्स (glans) (iv) फोरस्किन (foreskin)	
4. स्क्रोटम (Scrotum)	
5. शाफ्ट (Shoft)	
6. पेरीनियम (perineum)	
7. नाखून की कतरन (Nail Clipping)	
8. डी0एन0ए0 हेतु अन्य नमूनें–यथा अण्डर गारमेन्टस अधोवस्त्र, जैवीय पदार्थों (Biological Materials) आदि (डी0एन0ए0 प्रपत्र संलग्न) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 53 (A) की उप धारा (2) (v) उचित ब्यौरे सहित अन्य तात्तिवक विशिष्टियॉ।	

रेखाचित्र

1.

2.

3.

4.

5.

नोट –

1. डी0एन0ए0 हेतु स्लाइड स्टेन नहीं करना चाहिए। 2. डी0एन0ए0 हेतु स्लाइड तथा स्काब हवा में ही सुखायें।

रेडियोलॉजिकल परीक्षण (यदि आवश्यक हो)	
1. एक्स–रे	
2. एम0आर0आई0 / अल्ट्रासोनोग्राफी	

पैथोलॉजिकल परीक्षण		
जैविक नमूना	यदि आवश्यक हो	
परीक्षण का दिनांक तथा समय		
* कोई अन्य अन्वेषण (Any other findings)		
समस्त परीक्षण पूर्ण करने का दिनांक व समय		
[दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 53 (A) की उप धारा (3)] रिपोर्ट में संक्षेप में वे कारण अभिलिखित किये जायेंगे जिनसे प्रत्येक निष्कर्ष निकाला गया है।		

हस्ताक्षर
चिकित्सा अधिकारी का नाम
(बड़े अक्षरों में)
पद नाम (Designation)
मोहर (Seal)

फोरेन्सिक नमूना/जांच संबंधी सूची

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

फोरेन्सिक नमूना/जांच संबंधी सूची सम्बन्धित पुलिस कर्मी को सौंपी गयी।

हस्ताक्षर
विवेचना अधिकारी/पुलिस आरक्षी
का नाम एवं आरक्षी नम्बर
(बड़े अक्षरों में)
पदनाम/पद/थाना/जिला
दिनांक /समय .....

हस्ताक्षर
चिकित्सा अधिकारी का नाम
(बड़े अक्षरों में)
पद नाम (Designation)
मोहर (Seal)

नोट – यदि आवश्यक हो तभी उचित आधार पर ही चिकित्सा अधिकारियों के दल द्वारा पुर्नपरीक्षण किया जाना चाहिए।

Full Body: Male-Anterior and Posterior Views (Ventral and Dorsal)

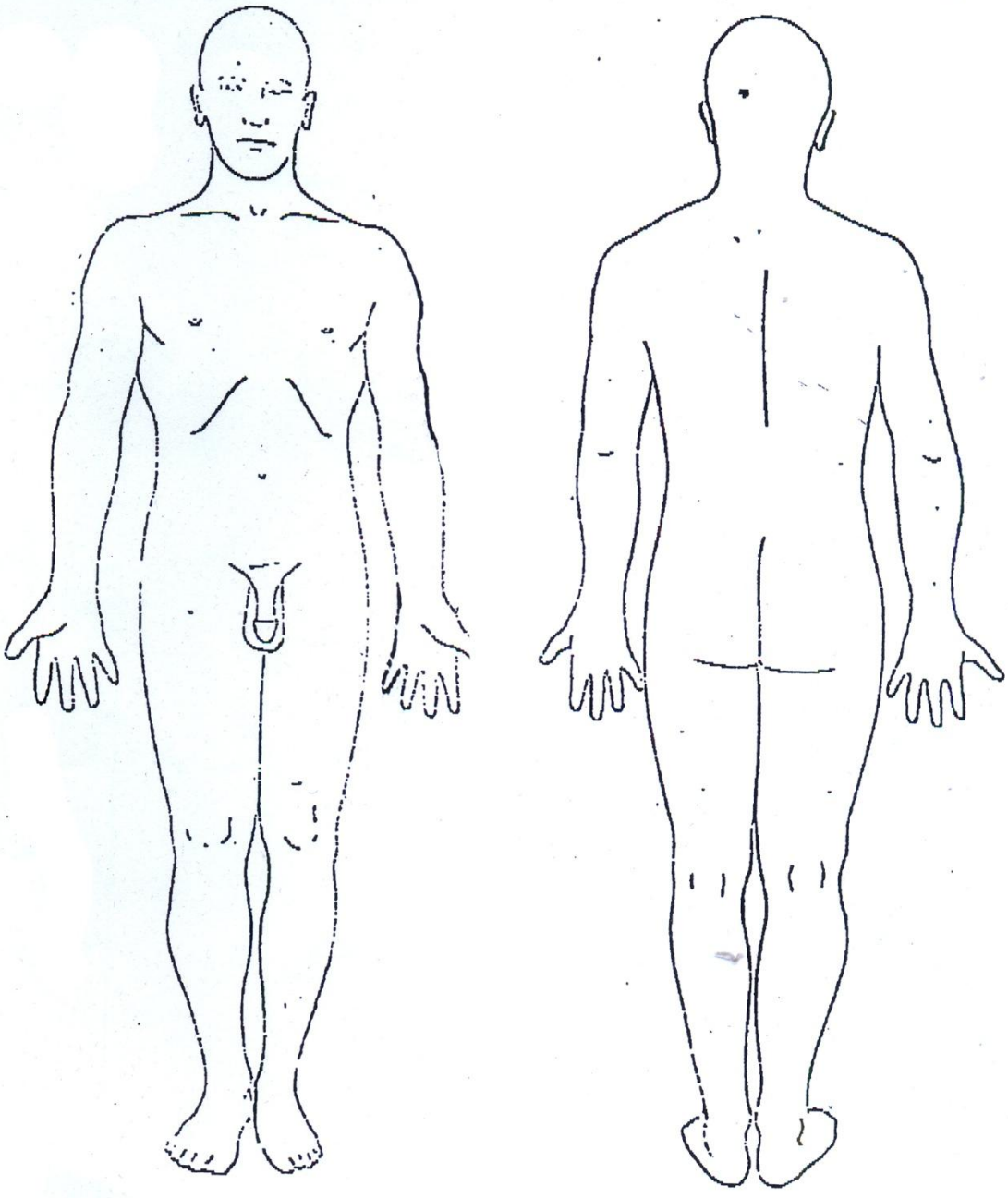

नाम ..... रिपोर्ट संख्या.....

दिनांक .....

चोटिल (जख्मी) व्यक्ति के चिकित्सा विधिक परीक्षण का प्रपत्र

(Medicolegal Examination Form for Injured person)

चोट प्रपत्र

(Injury Form)

परीक्षण प्रारम्भ करने का दिनांक समय एवं स्थान

नाम

उम्र

लिंग

पुत्र / पुत्री / पत्नी / पति

पता

जिला

थाना

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / धारा (FIR No./Section)

अग्रेषित करने वाला / लाने वाला (नाम तथा पता)

सहमति (यदि आवश्यक हो)

पहचान के चिन्ह (Mark of Identification)

शारीरिक विवरण (Physical Description)

चोटों का विवरण (Details of Injuries)

चोट का प्रकार	चोट का आकार गहराई सहित	स्थिति (Location)	बनावट (Shape)	किनारा (Margin)	रक्तस्राव	अन्य अन्वेषण

कृपया सभी चोटों को रेखाचित्र के चार्ट में दर्शाइये जो कि इस फार्म के साथ संलग्न है –

अभिमत (Opinion)

1. चोटों की प्रकृति (Nature of Injuries)
2. चोटों की अवधि (Duration of Injuries)
3. उपयोग में लाया गया हथियार/वस्तु (Weapon/Object used)

किसी जांच अथवा विशेषज्ञ अभिमत के लिए अग्रसारित करना
(Refer for any test or further specialist opinion)

सम्बन्धित थाने को सूचना
(Information to concert police station)

परीक्षण की समाप्ति का दिनांक तथा समय

कोई अन्य अन्वेषण
(Any other finding)

हस्ताक्षर
चिकित्सा अधिकारी का नाम
(बड़े अक्षरों में)
पद नाम (Designation)
मोहर (Seal)

फोरेन्सिक नमूना की सूची/अन्वेषण प्रपत्र सम्बन्धित पुलिस कर्मी को सुपुर्द किया गया।

हस्ताक्षर

पुलिस कर्मी को सुपुर्द करने का दिनांक तथा समय

विवेचना अधिकारी/सम्बन्धित पुलिस आरक्षी

का नाम तथा आरक्षी नम्बर
(बड़े अक्षरों में)
पदनाम/पद/थाना/जिला
दिनांक/समय

हस्ताक्षर
चिकित्सा अधिकारी का नाम
(बड़े अक्षरों में)
पद नाम (Designation)
मोहर (Seal)

Full Body: Male-Anterior and Posterior Views (Ventral and Dorsal)

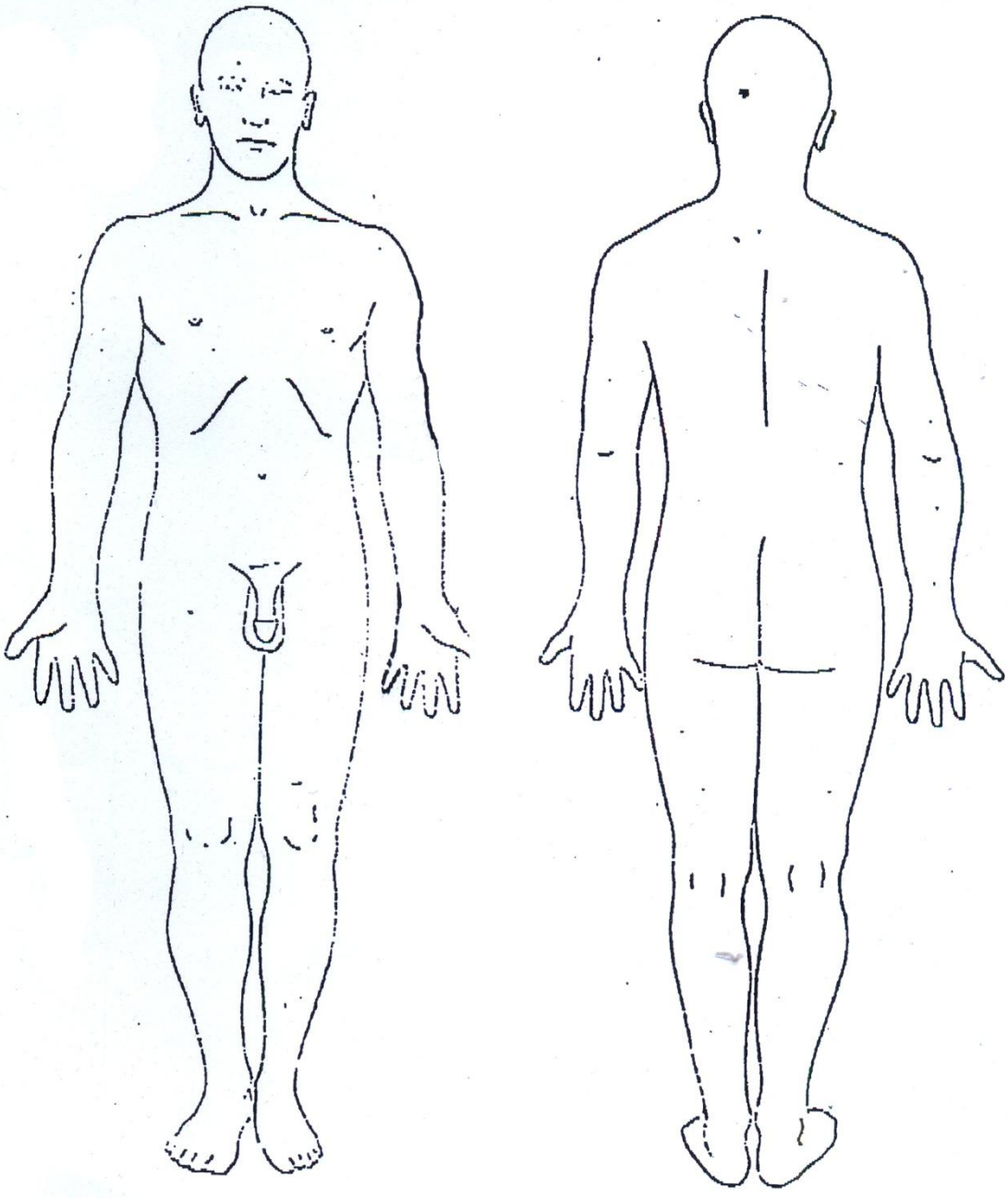

नाम ..... रिपोर्ट संख्या.....

दिनांक .....

यौन अपराध परीक्षण अभिलेख/नाम :

परीक्षण दिनांक

चिकित्सीय परामर्श हेतु सहमति

————————————————————————(स्वास्थ्य कर्मी का नाम) द्वारा मुझे परीक्षण की प्रकिया, साक्ष्यो के संकलन एवं पुलिस अथवा न्यायालय हेतु निकाले जाने वाले निष्कर्षो के विषय में जानकारी दी गयी।

मैं————————————————————(स्त्री का नाम) निम्न हेतु सहमति प्रदान करती हूँ :–

- ☐ परीक्षण, जननांगों एवं गुदा को सम्मिलित कर
- ☐ चिकित्सीय अन्वेषण हेतु नमूनों का संकलन चिकित्सीय समस्या के निदान के लिए
- ☐ अपराध अन्वेषण हेतु नमूनों का संकलन
- ☐ फोटोग्राफी
- ☐ पुलिस अथवा अन्य जॉच कर्ता को उपलब्ध करायी गई मौखिक एवं/अथवा लिखित रिपोर्ट ।
- ☐ किसी चिकित्सीय अवस्था हेतु प्रदत्त उपचार

स्त्री (अथवा माता–पिता/अभिभावक/संरक्षक के हस्ताक्षर ————————————

अंगूठे के निशान ————————————————

गवाह के हस्ताक्षर————————————————

दिनांक————————————————

यौन अपराध परीक्षण अभिलेख/नाम :

परीक्षण दिनांकः

सहमति पत्र पूर्ण करने हेतु दिशा निर्देश

विधिक चिकित्सीय परीक्षण हेतु सहमति अति महत्वपूर्ण होती है। सहमति प्रायः सूचित सहमति कहलाती है क्योंकि यह अपेक्षा की जाती है कि स्त्री (अथवा उसके माता पिता या अभिभावक/संरक्षक) को समस्त प्रासंगिक निर्णय से अवगत करा दिया गया है, जिससे कि स्त्री तत्कालीन स्थिति में अपने लिये सर्वोत्तम निर्णय ले सके।

स्त्री को निम्न समझना आवश्यक हैः–

- इतिहास जानकारी प्रक्रिया में क्या शामिल होगा ?
- किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने हैं एवं कारण जिस के लिए पूछे जाने हैः–

उदाहरण– मैं आपसे आक्रमण के विषय में जानना चाहूँगा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि हमलावर द्वारा आपके शरीर को कहॉ कहॉ स्पर्श किया गया, जिससे कि यह ज्ञात हो सके कि आपके शरीर पर चोट के निशान किन स्थानों पर हैं अथवा हमलावर द्वारा छोड़े गये साक्ष्यों हेतु।

- परीक्षण गोपनीय एवं गरिमा पूर्ण परिस्थितियों में किया जायेगा।
- स्त्री को शैया/पलंग पर लिटाकर आवश्यकतानुसार विस्तृत परीक्षण किया जायेगा।
- जननांग एवं गुदा के परीक्षण हेतु स्त्री को उस स्थिति में रखना आवश्यक होगा जिससे कि उपयुक्त प्रकाश में अंगों का स्पष्ट रुप से अवलोकन किया जा सके।

उदाहरण– मैं आपसे कहूँगॉ कि परीक्षण शैया पर पीठ के बल घुटनों तक चादर के साथ लेट जाइये। मैं कहूँगा कि घुटनों को ऊपर कर एड़ियों को साथ रखते हुए दोनों पैरों को फैला दें जिससे कि प्रकाश के साथ आपके कूल्हे के क्षेत्र (pelvic area) को सावधानीपूर्वक देख सकूँ।

- जननांग एवं गुदा क्षेत्र दस्ताने (gloves) पहनकर परीक्षक द्वारा स्पर्श किये जाएंगें जिससे कि आंतरिक संरचना का भलीभॉति अवलोकन किया जा सके। फीमेल बर्थ केनाल एवं योनि के आंतरिक परीक्षण हेतु स्पेकुलम नामक उपकरण एवं गुदा के आंतरिक अवलोकन हेतु एनोस्कोप उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है।
- नमूना एकत्रण के अन्तर्गत शरीर को स्वाब द्वारा स्पर्श कर शरीर पर उपस्थित जैविक नमूनों यथा सिर, गुप्तांगों के बाल, यौन अंगों के स्राव, रक्त, मूत्र एवं लार आदि को संकलित/संरक्षित किया जाएगा। कपड़ों को एकत्रित किया जा सकता है। न्यायालयिक परीक्षण (forensic analysis) के समस्त परिणाम स्त्री को उपलब्ध नहीं होगें।

यह आवश्यक है कि स्त्री को अवगत कराया जाये कि स्वास्थ्य कर्मी को प्रदत्त अथवा परीक्षण उपरान्त प्राप्त जानकारी न्याय व्यवस्था की अनिवार्य रिपोर्टिंग आवश्यकता के अन्तर्गत अन्वेषणकर्ता को अपराधिक न्याय प्रक्रिया के तहत दी जायेगी यदि स्त्री विधिक कार्यवाही हेतु निर्णय लेती है। स्वास्थ्य कर्मी को उपलब्ध करायी गई जानकारी, स्त्री एवं स्वास्थ्य कर्मी के मध्य व्यक्तिगत नहीं रखी जा सकती अपितु भविष्य में किसी समय पर न्यायालय में उस पर बहस हो सकती है।

स्त्री को रेखाचित्र के/फोटो के प्रयोग के सम्बन्ध में सूचना दी जानी चाहिए। फोटोग्राफी न्यायालय हेतु उपयोगी है तथा गुप्तांगों की फोटों **नहीं** ली जानी है।

उपरोक्त सभी सूचनाएं स्त्री एवं माता–पिता अथवा अभिभावक/संरक्षक को उस सरल भाषा में दी जाए जिसे वह भलीभॉति समझ सके।

वि0वि0घटना / निरी0 / 2010

विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश, महानगर, लखनऊ–226 006

घटनास्थल निरीक्षण रिपोर्ट

प्रपत्र संख्या.....

1– विशेषज्ञ का प्रस्थान –
- मॉग द्वारा
- आदेश द्वारा
- यदि टेलीफोन द्वारा–इंगित करें–

2– विशेषज्ञ / विशेषज्ञों के नाम–

3– विवेचनाधिकारी–

4– घटनास्थल का विवरण–
- आगमन का दिनांक एवं समय–
- घटना का दिनांक एवं समय –
  (विवेचनाधिकारी के कथानुसार)
- स्थान–
- थाना–
- जनपद–

5– अभियोग का विवरण–
- प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) का दिनांक–
- परिवादी / सूचना देने वाला–
- मु0अ0सं0–
- धारा–

6– अपराध की प्रकृति–
- यौन अपराध–
- हत्या / आत्महत्या–
- अपहरण –
- दुर्घटना–
- आगजनी–
- आग्नेयास्त्र / विस्फोट–
- चोरी / डकैती / लूट–
- वन्य जीव प्राणि अधिनियम के अन्तर्गत कारित अपराध–
- अन्य–

7– निरीक्षक किये गये घटनास्थल / प्रदर्शो का नाम एवं प्रकार
(जैसे–वाहन / हथियार / खुला स्थान / घर आदि)

8– जैविक / विस्फोटक / भौतिक / आग्नेयास्त्र / रसायन व अन्य से सम्बन्धित प्राप्त साक्ष्यों का

विवरण :–

'' प्रदर्शो को स्पष्ट रुप से चिन्हित करें''

क0सं0	प्रदर्श का नाम	चिन्हित सं0	संकलन का स्थान
1.			
2			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

' अलग से पन्ना जोड़े।

(यौन अपराध घटित होने की स्थिति में चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट तथा डी0एन0ए0 परीक्षण कराने की स्थिति में सम्बन्धित प्रपत्र संलग्न करें।)

9– प्रयोगशाला में प्रदर्श भेजने हेतु विवेचनाधिकारी को दिये गये निम्नवत् निर्देश–

- प्रदर्शो का प्रपत्रों के साथ प्रेषित करें(पुलिस रेगुलेशन एक्ट) हॉ/नहीं
- प्रदर्शो के आंशिक/पूर्ण प्रयोग हेतु कोर्ट का प्रमाण पत्र हॉ/नहीं
- विसरा को जॉच के लिए प्रयोगशाला में प्रेषित करें। हॉ/नहीं
- मृत्यु समीक्षा प्रपत्र हॉ/नहीं
- प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति हॉ/नहीं
- पोस्टमार्टम/एन्टीमार्टम रिपोर्ट की प्रति हॉ/नहीं
- चिकित्सकीय/इन्जरी रिपोर्ट की प्रति हॉ/नहीं
- जब्त सामान की सूची हॉ/नहीं

10– घटनास्थल की फोटोग्राफ/स्कैच मय स्केल/वीडियाग्राफी हॉ/नहीं

11– विशेषज्ञ की टिप्पणी (यदि कोई है।)

विवेचनाधिकारी के हस्ताक्षर

विशेषज्ञ के हस्ताक्षर

विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ–226 006
डीएनए परीक्षण हेतु
डी0एन0ए0 परीक्षण संबंधी दिशा निर्देश

नमूनों का संकलन/संरक्षण

(1) रक्त नमूने को स्वच्छ काटन गॉज/फिल्टर पेपर/एफटीए कार्ड पर सुखाकर कागज के लिफाफे में सील कर भेजना वांछित है।

(2) 2 से 5 मिली रक्त सैम्पल सम्भावित माता–पिता एवं सन्तान से जीवाणुरहित इडीटीए वॉयल (अधिकृत मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध) थर्मस के अंदर बर्फ में रखकर भेजना वांछित है।

(3) प्रत्येक रक्त सैम्पल अलग–अलग वायल में लिया जायेगा एवं उसके ऊपर लेवल पर न मिटने वाली इंक से विवरण अंकित किया जाये। लेबल पर सैम्पल लेने वाले चिकित्साधिकारी, विवेचनाधिकारी व गवाह जिसके समक्ष रक्त सैम्पल लिया गया है के हस्ताक्षर होने चाहिए तथा रक्त एकत्रण का दिनांक व समय अंकित होना चाहिए। लेबल को सैलोटेप से सुरक्षित किया जाये।

(4) पैतृक/मातृत्व विवाद संबंधी परीक्षणों में संम्भावित माता–पिता एवं सन्तान के रक्त सैम्पल तथा व्यक्ति की पहचान हेतु सगे–संबंधी जैसे माता–पिता, पति–पत्नी व बच्चों के रक्त सैम्पल एवं बलात्कार से संबंधित परीक्षणों में पीड़िता, संभावित अभियुक्त के रक्त सैम्पल भेजते समय प्रपत्र संख्या–2/2 दो प्रतियों में अलग–अलग भेजा जाये।

;5द्ध एफटीए कार्ड को प्रयोग करते समय दस्तानों का प्रयोग करें तथा संदूषण (ब्वदजंउपदंजपवद) से बचाये।

- एफटीए कार्ड पर सैम्पल दाता का नाम एवं अभियोग का विवरण, रक्त सैम्पल का संग्रहण दिनांक एवं समय, रक्त संकलन करने वाले चिकित्साधिकारी के हस्ताक्षर अंकित करें।
- एफटीए कार्ड पर छपे वृत्त में (ढ 125 µस प्रति 1 इंच वृत्त एवं 75 µस प्रति 3/4 इंच वृत्त) सैम्पल को सकेन्द्रित वृत्ताकार गति (ब्वदबमदजतपब बपतबनसंत उवजपवद) में डालकर छायादार स्थान पर 30 मिनट तक सुखाये। रक्त को कार्ड पर मत रगड़े एवं एक स्थान पर रक्त मत डालें।
- एक वृत्त में चार पॉच छोटी–छोटी बूँदे चित्रानुसार डालकर सुखाए।
- एफटीए कार्ड पर स्वच्छ सूखे अलग–अलग नमूने को अलग–अलग लिफाफे में रखकर डीएनए परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजना सुनिश्चित करें।

(6) फॉरेसिंक नमूनों को निम्न प्रकार से भेजना वांछित हैः–

रक्त के धब्बे/ दॉत/बाल जड़ सहित हड्डियॉ/अस्थियॉ	प्रत्येक प्रदर्श को अलग–अलग सूखे स्वच्छ कपड़े अथवा कागज में लपेट कर भेजे। **पूर्णतया जली हड्डी व राख परीक्षण के लिए उपयोगी नहीं है।**
मुख स्वाब/ बैजाइनल स्वाब/एनल स्वाब/स्मीयर स्लाइड	स्वाब स्वच्छ रूई में सुखाकर, कॉच की वायल या शीशी में रखकर अथवा कागज के लिफाफे में रखकर तथा स्मीयर स्लाईड सुखाकर अरंजित (दवज`जंपदमक) दशा में लिफाफे में रखकर भेजा जाये।
मॉसपेशियॉ/ऊतक	50–100 ग्राम ऊतक/मांसपेशियॉ डीएनएस (मेडिकल स्टोर में उपलब्ध) अथवा नार्मल सैलाइन (0.9 प्रतिशत) कॉच अथवा प्लास्टिक की चौड़े मुँह वाली शीशी में संरक्षित कर भेजें। सूखा नमक (सोडियम क्लोराइड) अथवा बर्फ में फ्रीज कर संरक्षित किया जा सकता है। **उक्त सैम्पल को फार्मेलीन में संरक्षित नहीं किया जाना चाहिए।**

- वेजाइनल समीयर स्लाइड को अरंजित (Not Stained)भेजा जाये।

- अज्ञात शव/मृतक के नमूनों को निम्न प्राथमिकता के आधार पर (दो प्रकार के नमूनें) एकत्रित/परिरक्षण कर भेजना वांछित है। विशेष परिस्थितियों में ही दो से अधिक नमूनो की आवश्यकता होगी।

(i) 2–5 ml रक्त सीधे हदय से जीवाणुरहित इडीटीए वॉयल में।

(ii) 50–100 gm लिवर/लाल मॉसपेशियॉ 0.9% DNS में परिरक्षण।

(iii) साबुत हड्डियॉ/दॉत को प्रेषित करने हेतु प्राथमिकता निम्नवत् हैः

(1) फीमर
(2) टीबिया
(3) ह्यूमरस
(4) दॉत (मोलर की प्राथमिकता)
(5) पसली

<u>सीलिंग एवं पैकिंग</u>

- प्रत्येक रक्त सैम्पल की वायल को लाख से सील कर अलग–अलग पारदर्शी पॉलीथीन में रखकर थर्मस फ्लास्क में बर्फ में रखकर 72 घण्टे में जॉच हेतु प्रयोगशाला में भेजा जाये।
- अन्य फारेन्सिक प्रदर्शों को लाख से सील कर अलग–अलग कर कागज के लिफाफे/कपडे के बण्डल में भेजा जाना वांछित है।

प्रपत्र डी0एन0ए0 परीक्षण–1/2/2011

विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश, महानगर, लखनऊ–226 006
टेलीफोन नं0/फैक्स–0522–2336232
ई–मेल :– dirfsl@up.nic.in

अग्रसारण–प्रपत्र–डी0एन0ए0 परीक्षण

अभियोग संख्याः.....धारा.....थाना.....
जनपद.....राज्य.....दिनांक.....

1. अभियोग का संक्षिप्त इतिहासः–

2. परीक्षण हेतु नमूनों का विवरणः–

क्र0 सं0	नमूना लिये जाने का दिनांक	नमूना देने वाले व्यक्ति का नाम	नमूने का स्रोत (सम्भावित माता, पिता, संतान, आदि)	टिप्पणी

3. नमूना सीलः–
(लाख की मुद्रा को सैलोटेप से कवर किया जाये)

विवेचनाधिकारी के हस्ताक्षर
नामः–.....
पदनाम/रबर स्टाम्प–.....
दिनांकः–.....

अग्रेषण अधिकारी के हस्ताक्षर
नामः–.....
पदनाम/रबर स्टाम्पः–.....
दिनांकः–.....

क्रमशः

प्राधिकार पत्र

निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0, महानगर, लखनऊ को अभियोग संख्या .....
.....धारा.....थाना.....
जनपद.....राज्य.....दिनांक.....
से संबंधित प्रेषित नमूनों को परीक्षण में उपयोग करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

अग्रेषण अधिकारी के हस्ताक्षर
नामः–.....
पदनाम/रबर स्टाम्पः–.....
दिनांकः–.....

नोटः–

1. पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक के स्तर से कम न हो अथवा माननीय न्यायालयों द्वारा अग्रसारण किया जाना है। अभियोगों का अग्रसारण प्रपत्र–1 के अनुसार होना वांछित है।
2. नमूना सील लाख की पठनीय, प्रमाणित व सैलोटेप से सुरक्षित होनी चाहिए।
3. सभी अग्रसारित रक्त सैम्पल ठीक से चिन्हित, सील्ड हों एवं अग्रसारण प्रपत्र में उनका स्पष्ट उल्लेख तथा जीवित व्यक्ति का फोटाग्राफ डाक्टर द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
4. एफ0आई0आर0 (प्रथम सूचना रिपोर्ट)/मेडिकल रिपोर्ट की छायाप्रतियॉ आदि राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।
5. डी0एन0ए0 फिंगर प्रिंटिंग परीक्षण हेतु भेजे गये रक्त सैम्पल सील्ड अवस्था में पॉलीथीन में रखकर बर्फ के साथ थर्मस फ्लास्क में सुरक्षित भेजे जायें।
6. प्रत्येक रक्त सैम्पल हेतु अलग–अलग प्रपत्र संख्या–2/2 दो प्रतियों में भरकर भेजना चाहिए।
7. प्रपत्र–1/2 व 2/2 अपूर्ण होने की स्थिति में अभियोग परीक्षण हेतु स्वीकार नहीं किया जायेगा।

प्रपत्र डी0एन0ए0 परीक्षण–2/2/2011

विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ–226 006
टेलीफोन नं0/फैक्स–0522–2336232
ई–मेल :– dirfsl@up.nic.in

डीएनए परीक्षण हेतु
जैविक नमूनों का प्रमाणीकरण प्रपत्र

फोटोग्राफ
जीवित व्यक्ति का
डाक्टर द्वारा
प्रमाणित
चिपकायें

(A) नमूने के स्रोत का विवरणः

1. नाम (स्पष्ट अक्षरों में).....
2. पिता/संरक्षक का नाम.....
3. लिंग..... 4. आयु..... वर्ष..... माह.....
5. पूरा पता.....
   .....
   .....
6. चिकित्सा/स्वास्थ्य विवरण
   सामान्य..... रोग/दीर्घकालिक रोग .....
   आनुवांशिक विकृति .....
7. रक्त आधान यदि कोई हुआ हो– विगत तीन माह में.: यदि हॉ तो दिनांक .....
8. अंग प्रत्यारोपण, यदि कोई हो तो दिनांक–.....
   .....

(B) अभियोग परीक्षण हेतु ज्ञात संग्रहित नमूना
अभियोग सं0.....दिनांक.....थाना.....धारा.....

(C) डी0एन0ए0 परीक्षण का उद्देश्य.....
.....
.....

(D) जैविक नमूने के स्रोत/दाता द्वारा घोषणाः
मै.....एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि परीक्षण हेतु संग्रहित/संकलित जैविक नमूना (नमूने).....मेरी सहमति एवं संज्ञान में लिया गया है तथा उपरोक्त सूचनायें सत्य है।

निशान अँगूठा बांया

निशान अँगूठा दाहिना

हस्ताक्षर .....
नाम .....
दिनांक.....

(E) (1) ज्ञात जैविक नमूनेः

❖ (2) प्रदर्श–

(I) तरल रक्त ☐ (II)रक्त के धब्बे/रक्त रंजित प्रदर्श ☐ (III) मुख स्वाब ☐

(IV) समूल बाल जड़ सहित ☐ (V) वीर्य ☐ (VI) योनि स्वाब ☐

(VII) गुदा (एनल) स्वाब ☐ (VIII) कटे नाखून ☐ (IX) हड्डियॉ ☐

(X) शरीर द्वारा स्रावित अन्य स्राव के धब्बे ☐ (XI) दॉत/इनेमल पल्प ☐

(XII) ऊतक ☐ (XIII) अन्य ☐

(XIII) व्यक्तिगत प्रयोग की जाने वाली सामग्री–

(i) कंघा ☐ (ii) अंतःवस्त्र ☐ (iii) लिपिस्टिक ☐

.(iv)चश्मा ☐ (v) रूमाल ☐ (vi) कलाई घड़ी ☐

(vii) नाक एवं कान के आभूषण ☐ (viii) मोबाइल फोन ☐

(ix) कन्डोम ☐ (x) अन्य ☐

(F) जैविक नमूने का विवरणः

1 (i) रक्त परिरक्षण की मात्रा..... 2 (i) ऊतक का नाम/मात्रा .....

1 (ii) परिरक्षण में प्रयुक्त रसायन..... 2 (ii) ऊतक परिरक्षण में प्रयुक्त रसायन.....

3 (i) अरंजित स्मीयर स्लाइड की संख्या .....

5(i) संकलन/परिरक्षण का दिनांक.....4. संकलित हड्डी.....

(ii) नमूना मोहर/सील की छापः.....

(लाख की मुद्रा को सैलोटेप से कवर किया जाये।)

चिकित्सक

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम/ रबर स्टैम्प .....

दिनांक.....

(G) विवेचनाधिकारी/गवाह का विवरण

जैविक नमूनों का संकलन/संग्रहण दो गवाहों की उपस्थिति में किया जाना अधिमान्य है।

विवेचनाधिकारी	गवाह 1: सम्मानित नागरिक	गवाह 2: सम्मानित नागरिक
हस्ताक्षर.....	हस्ताक्षर.....	हस्ताक्षर.....
नाम.....	नाम.....	नाम.....
पदनाम.....	पदनाम.....	पदनाम.....
पता.....	पता.....	पता.....
दिनांक.....	दिनांक.....	दिनांक.....

मात्र कार्यालय प्रयोगार्थः–

अभियोग सं0.....

डीएनए परीक्षण..... प्रदर्श संख्या.....

वि0वि0प्र0 उ0प्र0, लखनऊ अभियोग प्राप्ति का दिनांक.....

- सीआरपीसी 1973 के सेक्शन– 53, 53 ए, 164 एवं 164 ए में उल्लिखित वर्ष 2005 में संशोधित दिनांक 23.06.2006 से प्रभावी है।

घटनास्थल प्रबन्धन प्रोटोकॉल

डा0 श्याम बिहारी उपाध्याय,
निदेशक

विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0,
लखनऊ

घटनास्थल प्रबन्धन प्रोटोकॉल

विवेचना अधिकारी द्वारा यह सदैव याद रखना वांछित है कि घटनास्थल एवं अपराध से संबंधित साक्ष्य पुनः उसी मूल स्थिति में नहीं प्राप्त हो सकते। अतः घटनास्थल छोड़ते समय निम्न बिन्दुओं का कदापि विस्मरण नहीं करना चाहिए।

1. घटनास्थलः–

- घटनास्थल पर पायी गयी किसी भी वस्तु की स्थिति को फोटोग्राफी, पंचनामा, वीडियोग्राफी का विवरणनोट किये बिना परिवर्तित नहीं करना चाहिए।
- फर्नीचर, दरवाजों , खिड़कियों, पर्दों, टैपस्ट्री कारपेट, चारपाई, बिछावन, परदों, फिक्सर, फिटिंग्स आदि का विवरण नोट करना छोड़ना नहीं चाहिए।
- रक्त के धब्बे, वीर्य, मूत्र, पसीना, पेन्ट, रेशे व बालों की अनदेखी न करें एवं जो वस्तुएं किसी कट मार्क द्वारा प्रभावित हुयी हो उन्हें सुरखित रखें।
- बोतल, कन्टेनर्स, ग्लास, पात्रों की स्थिति नोट करें कि वह खाली आधी भरी अथवा पूर्ण भरी अवस्था में है या उनमें उपस्थित द्रव विषैला है अथवा अल्कोहल है।
- दृष्टिगत समस्त वस्तुओं को सुरक्षित करे यह संभव है कि तात्कालिक रूप से वह अनुपयोगी हो किन्तु बाद में वह महत्वपूर्ण सिद्ध हो।
- प्रत्येक सन्देहास्पद कपड़े, रेशे, बाल, कागज, दस्तावेज आदि का संकलन करना न भूलें क्योंकि अपराधी से इनका सम्बन्ध हो सकता है।
- घटनास्थल को असुरक्षित न छोड़े घटनास्थल की सुरक्षा हेतु किसी की ड्यूटी लगाये।
- किसी भी वस्तु यथा सिगरेट के टुकड़े, सिगरेट की राख, पदचिन्ह, जूतों के निशान एवं अंगुलि चिन्हों आदि को कभी भी नोट करना न भूले क्योंकि वह अभियुक्त तक पहुॅचने के लिए एक कड़ी के रूप में सिद्ध हो सकती है।
- घटनास्थल निरीक्षण पूर्ण होने तक दरवाजों, खिड़कियों, तालों, सीढ़ी, प्रकाश स्रोतों, पंखों, आने तथा जाने के मार्ग को मूल रूप में बनाये रखें।
- अपराधस्थल से संबंधित बाथरूम, शौचालय, वाशबेसिन व टेलीफोन का प्रयोग कदापि न करें।
- विवेचना के दौरान सभी महत्वपूर्ण आवश्यक प्रतिवेदनों (धनात्मक व ऋणात्मक) को प्रारम्भिक परीक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित करना न भूलें।
- सदैव घटनास्थल रिपोर्ट में फोटोग्राफ्स, नक्शों व स्केचिंग को सम्मिलित करें।

2. फोटोग्राफीः–

- समस्त महत्वपूर्ण एवं जघन्य अपराधों के घटनास्थलों को श्वेतश्याम अथवा रंगीन फोटोग्राफी द्वारा रिकार्ड करें।
- हत्या, संदिग्ध मृत्यु, फाँसी, जलने (बर्निंग), डूबने व सड़क दुर्घटना जैसे मामलों में निरीक्षण के दौरान लाश का फोटाग्राफ लेना न भूले।
- इमारतों, रोड, सड़क, बाउन्ड्री, दीवार, दरवाजों, खिड़कियों, खम्भों, पेड़ों आदि की सापेक्ष स्थिति हमेशा नोट करें क्योंकि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं।
- चोटों, लिगेचर मार्क, घिसटन के निशानों , खुरचने के निशानों , फटने व सूजन जो पीड़ित के शरीर पर हो के फोटोग्राफ लेना न भूलें।
- औजारों के निशान, टायरों के निशान, स्किड चिन्ह, पदचिन्हों एवं जूतों के निशानों की फोटोग्राफी करते समय स्केल का सदैव प्रयोग करें।
- फोटोग्राफ महत्वपूर्ण एवं सत्यता के प्रतिरूप होने चाहिए।
- वस्तुओं का एक दूसरे से संबंध तथा वस्तुओं की स्थिति फोटोग्राफ में स्पष्ट होनी चाहिए जो पिछली पृष्ठभूमि को दर्शा सके।
- रिकार्ड किये गये फोटोग्राफ में समय, दिनांक, अभियोग संख्या, थाना, स्थान एवं फोटाग्राफर का नाम अंकित होना चाहिए।
- प्रवेश एवं निकलने के स्थान की फोटोग्राफी करना न भूले।

3. स्केचिंगः–

- मोटर वाहन दुर्घटना, हत्या तथा आग्नेयास्त्र प्रकरणों के घटनास्थल का नक्शा बनाना न छोड़े।
- विभिन्न वस्तुओं, फिटिंग्स, फर्नीचर, वाहन, लाश तथा अस्त्रों की सापेक्ष स्थिति का नक्शें में उल्लेख करना न भूलें।
- नक्शें में सड़क, दीवार, नदी, कुँए, मकान, रेलवे लाईन तथा पेड़ों आदि की सापेक्ष स्थिति का अवश्य उल्लेख करें।
- नक्शें में शरीर के ऊपर पहचान चिन्ह (जोड़ने का निशान), चोटों तथा अन्य चिन्हों का उल्लेख अवश्य करें।
- नक्शें में दिशाओं का उल्लेख अवश्य करें, उत्तर दिशा को सदैव ऊपर की ओर दर्शायें।
- नक्शे में अभियोग संख्या थाना, समय, दिनांक तथा स्थान (घटनास्थल) का उल्लेख अवश्य करें।
- सदैव दूरियों को टेप द्वारा नापे तथा लगभग दूरी न दर्शायें।
- सदैव प्रचलित संकेतों, अक्षरों, का प्रयोग करें तथा अंकों की भीड़ एकत्रित न होने दें।

4. अज्ञात शवः–

- संदिग्ध मृत्यु, दुर्घटना एवं हत्या के मामलों में अज्ञात मृतकों की पहचान करने की अनदेखी न करें।
- अज्ञात शव पर पाये गये गोदना/तिल की फोटोग्राफी करें तथा विशेषकर चोटों की पहचान करें।
- जहॉ तक सम्भव हो अज्ञात मृतक के ॲगुलि चिन्ह स्याही से लेना न भूले।
- पोस्टमार्टम सर्जन को ॲगुलियों की त्वचा संरक्षित करने को कहें।
- अज्ञात मृतक के शरीर के कपड़ों में उपस्थित टेलर चिन्हों, ड्राई क्लीनर मार्क को नोट करना न भूलें।
- अज्ञात मृतक के पास से प्राप्त ड्राइविंग लाइसेन्स, व्यक्तिगत वस्तुओं, परिचय पत्र, पैनकार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा एटीएम कार्ड के आधार पर पहचान करें।
- भ्रूण हत्या, शिशुवध के प्रकरणों में भ्रूण एवं शिशु की आयु की जानकारी अवश्य करें।
- जाँच करने हेतु हड्डियों को अवश्य भेजें यदि कंकाल मिला हो तो लिंग, आयु, लम्बाई, फ्रेक्चर से संबंधित डाटा अवश्य प्राप्त करें।
- छोटी से छोटी हड्डियों को कब्जे में लें क्योंकि इनमें जहर देने,चोटों व मृत्यु के कारण से संबंधित साक्ष्य हो सकते हैं।

5. पोस्टमार्टम व मेडीकोलीगल परीक्षणः–

- अप्राकृतिक व संदिग्ध मृत्यु के मामलों में पोस्टमार्टम अवश्य करायें।
- चिकित्सक द्वारा सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं (धनात्मक या ऋणात्मक) का उल्लेख किया गया है यह सुनिश्चित करें।
- चिकित्सकीय रिपोर्ट में अंकित चोटों व अन्य महत्वपूर्ण चिन्हों से संबंधित आपकी राय में विरोधाभास तो नहीं है यह सुनिश्चत कर लें।
- पोस्टमार्टम प्रपत्र में चिकित्सक द्वारा सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं को भरा गया है इसकी जाँच करना न भूलें।
- चोटों व अन्य बिन्दुओं पर विरोधाभास होने पर मजिस्ट्रेट को सूचित करना न भूलें।
- विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजने से पूर्व चिकित्सक से मेडीकोलीगल प्रदर्शों के संबंध में प्राथमिक राय अवश्य लें।
- विसरा, रक्त, ऊतक आदि हेतु सही परिरक्षक का प्रयोग किया गया है यह सुनिश्चित करें।
- चिकित्सक से ज्ञात करें कि विसरा तथा स्टमक वाश आदि नार्मल सैलाइन में तथा हिस्टो पैथोलोजी परीक्षण हेतु अन्य आन्तरिक ऊतकों को फार्मालीन में संरक्षित किया गया है।

• साँप काटने के मामले में काटने के स्थान की त्वचा का टुकड़ा संरक्षित किया गया है या नहीं सुनिश्चित कर लें।

• चिकित्सक से यह अवश्य ज्ञात करें कि जलने के मामले में श्वास नली में कार्बन कणों की उपस्थिति हेतु तथा डूबने के मामले में डायटम की उपस्थिति हेतु फीमर अथवा टिबिया–हड्डी संरक्षित की गयी है।

• विसरा, स्टमक कन्टेन्ट्स एवं रक्त को परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजने में विलम्ब न करें।

6. हत्याः–

• हत्या के पूर्व मृतक की गतिविधि तथा हत्या किये जाने के उद्देश्य हेतु तथ्य एकत्रित किये जाने चाहिए।

• हत्या के उद्देश्य की पुष्टि हेतु परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को एकत्र करना न भूले।

• सभी दिशाओं से चोटों तथा अन्य निशानों को दर्शाने के लिये शव की फोटाग्राफी करना चाहिए।

• अभियुक्त के शरीर पर संघर्ष के कारण आयी चोटों को साक्ष्य के रूप में देखना न भूलें।

• अभियुक्त के कटे कपड़े एवं कपड़ों पर रक्त के धब्बों को न भूलें।

• अपराधी के नाखूनों में रक्त को नोट करना न भूलें।

• गला घोटने के मामले में संघर्ष एवं हिंसा के निशान को देखना न भूलें।

• विष द्वारा हत्या के मामले में विसरा प्रिजर्वेशन की श्रंखलाबद्ध कड़ी को नहीं भूलना चाहिए।

• जलने से हुई हत्या के मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य जैसे स्टोव, मिट्टी के तेल के कन्टेनर, लिड की स्थिति, माचिस की स्थिति, धुँए का पैटर्न (क्रम) भी देखें।

7. आत्महत्याः–

• आत्महत्या का केस जब तक सिद्ध न हो जाये उसे हत्या समझना चाहिए। पोस्टमार्टम कराना न भूलें।

• मृतक के शरीर पर उत्पन्न चोटों का प्रकार, स्थिति, दिशा एवं आकार का सूक्ष्मता से अध्ययन करें।

• लाश की स्थिति को कैडावेरिक फार्म में विशेषतः देखना चाहिए यह एन्टीमार्टम जलने को इंगित करता है।

• जलने के केस में डिग्री आफ बर्न (जलने के प्रतिशत) को नोट करना नहीं भूलना चाहिए।

• आग्नेयास्त्र के मामले में आग्नेयास्त्र हाथ में किस स्थिति में हैं देखना चाहिए।

• फाँसी के मामले अपराध स्थल का विस्तृत सर्वे करना चाहिए कि लिगेचर मार्क लिगेचर वस्तु से मेल खाता है कि नहीं।

• फाँसी के मामले में जमीन से लटकने के स्थान तक पूर्ण दूरी, गर्दन से एंकर प्वांइट की दूरी, पैरों से जमीन और मृतक की लगभग ऊँचाई तथा सपोर्टिंग वस्तु की एंकर प्वाइंट तक पहुंचने को नोट करना चाहिए।

• विष द्वारा आत्महत्या के मामले में उल्टी, कप, ग्लास, बोतल, दवायें, जहर, कन्टेनर जो घटनास्थल पर पाये जाते हैं को एकत्र करना एवं प्रिजर्व करना न भूलें।

8. दुर्घटनाः–

• विभिन्न दिशाओं से फोटोग्राफी करने के बावजूद घटनास्थल का अच्छा नक्शा बनाना न भूले।

• सड़क दुर्घटना के मामले में घटनास्थल को डमी तथा समान वाहन द्वारा पुर्नस्थापना करना न भूले।

• हिट एण्ड रन केसेज में वाहन में डेन्ट मार्क, स्क्रैच, डैमेज तथा ट्रेस साक्ष्य जैसे बाल, रेशे, कपड़े, मिट्टी की जाँच करना न भूलें क्योकि ये संबंधित वाहन से संबंध को स्थापित कर सकता है।

• डूबने के मामले में परिस्थितजन्य साक्ष्यों को अनदेखा नहीं करना चाहिए क्योंकि यह विवेचना में महत्वपूर्ण साबित हो सकते है।

• यदि दुर्घटना किसी कार्य करने वाले स्थान यथा फैक्ट्री, प्रयोगशाला, वर्कशाप या निर्माणाधीन स्थल पर होती है तो उस क्षेत्र के टेक्नीशियन अथवा विशेषज्ञ से सहायता लेने में संकोच न करें।

• यदि दुर्घटना विस्फोट से होती है तो उसको हल्के में न लें बल्कि विवेचनाहेतु साथ में सुरक्षित डिवाइस सहित विस्फोटक विशेषज्ञ को साथ में लें।

• आगजनी दुर्घटना के मामले में हमेशा क्रमबद्ध तरीके से आगजनी प्रारम्भिक स्थान तथा ज्वलनशील पदार्थों की विवेचना करनी चाहिए।

• आगजनी दुर्घटना के मामलों में सही तथ्य जानने का प्रयास करना चाहिए सदैव मृतक के अन्डरगारमेन्ट्स में ज्वलनशील पदार्थो की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए।

• विशेषज्ञ द्वारा दुर्घटना में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के माध्यम से यह जानना चाहिए कि व्यक्ति तक विष कैसे पहुँचा।

9. जलकर मृत्युः–

• जलकर मृत्यु के संदिग्ध प्रकरणों को प्रथम दृष्टया तब तक हत्या का प्रकरण मानना चाहिए जब तक तथ्य स्पष्ट न हो जाये।

• हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना के मामलों में परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को अनदेखा नहीं करना चाहिए।

- चिकित्सक से जलने के प्रतिशत की जानकारी करनी चाहिए।
- जलने के घटनास्थलों में अतिरिक्त क्षेत्र को भी देखना न भूलें।
- मृतक शरीर पर धुँए का जमाव व धुँए की दिशा घटनास्थल छोड़ने से पहले नोट करना न भूले।
- अपराध स्थल के पंचनामा में दरवाजों व खिड़कियों की स्थिति, बोल्ट व स्टापर्स की स्थिति को दर्शायें।
- जलने के पहले संघर्ष के प्रकार के साक्ष्य को देखें इसमें टूटी हुई चूड़ी, अव्यवस्थित वस्तुओं एवं एन्टीमार्टम चोटों को देखें।
- गैस स्टोव की नाब्स की स्थिति, रेगुलेटर बंद या खुला, मिट्टी के तेल का कन्टेनर बंद या खुला एवं माचिस की स्थिति देखें।

10. फॉसी व गला घोंटनाः–

- फाँसी के घटनास्थल का हमेशा समस्त मापों सहित नक्शा बनायें एवं फोटोग्राफ लें।
- फाँसी के घटनास्थल में परिस्थितजन्य साक्ष्यों को अनदेखा न करें क्योंकि इनकी आत्महत्या व फाँसी हत्या में अहम् भूमिका होती है।
- चिकित्सक से यह पूँछने में संकोच न करें कि लिगेचर मार्क एन्टीमार्टम है या पोस्टमार्टम।
- यदि लिगेचर मार्क पोस्टमार्टम प्रकृति का है तो जहरखुरानी को अनदेखा न करें।
- लार टपकने के बहाव को देखें, यह एन्टीमार्टम फाँसी का अतिमहत्वपूर्ण संकेत हैं।
- लटकने के स्थान व गर्दन पर लगी गाँठ को कभी न काटे यह मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य है।
- लाश के नीचे जमीन पर मूत्र की उपस्थिति देखें।
- गला घोटने के मामले में संघर्ष एवं हिंसा की चिन्हों की अनदेखी न करें।
- हमेशा गला घोंटने को हत्या समझकर केस की विवेचना करें।
- गला घोंटने की दशा में सदैव संघर्ष के निशानों की उपस्थिति पायी जाती है, केवल शिशुओं, वृद्ध, विक्षिप्त एवं नशे की अवस्था में छोड़कर।
- दम घुटने में परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को न भूलें क्योंकि विवेचना में इनकी अहम भूमिका हो सकती है।

11. बलात्कार के मामलेः–

- पीड़िता व अपराधी का चिकित्सीय परीक्षण करवाना न भूलें।
- पीड़िता के बारे में कुछ सूचनायें यथा मानसिक स्थिति, चलने की स्थिति, बोलने की प्रवृत्ति तथा चोटों के बारे में चिकित्सक को सूचनायें देने में संकोच न करें।

• चिकित्सक से हमेशा पीड़िता की आयु, संघर्ष के संकेत तथा हिंसा और बलात्कार के बारे में राय प्राप्त करें।

• चिकित्सा अधिकारी से जननांगों में आयीं चोटों के विषय में जानकारी लें।

• रक्त व वीर्य के धब्बों के प्रदर्श अग्रिम परीक्षण हेतु संरक्षित करना न भूलें।

• हिंसा के चिन्हों के लिये अभियुक्त का परीक्षण कराना न भूलें।

• अपराध स्थल पर उपस्थित बालों विशेषकर जननांग के बाल (प्यूबिक हेयर) को सदैव देखना चाहिए।

• पीड़िता व अभियुक्त के प्यूबिक हेयर का नमूना एकत्रित करना न भूले।

• पीड़िता के नाखूनों से रक्त, टिशू एवं त्वचा आदि का नमूना लेना न भूलें।

• पीड़िता तथा अपराधी के कपड़ों पर उपलब्ध धूल, मिट्टी, कीचड़ एवं पादप पदार्थ आदि संकलित करें।

12—अपराधिक गर्भपातः—

• गर्भपात के मामलों में घटना के क्रम को सुनिश्चित करें।

• यदि पीड़िता की मृत्यु हो गयी है तो चिकित्साधिकारी से रीसेन्ट व पास्ट प्रसव चिन्हों के संबंध में जानकारी प्राप्त करें।

• विवेचना के उद्देश्य से गर्भधारण की स्थिति महत्वपूर्ण होती है सदैव याद रखना चाहिए।

• गर्भपात के लिये कौन लाया, स्थान कौन सा था, दिनांक व समय से संबंधित सूचनायें प्राप्त करना न भूलें।

• चिकित्सा अधिकारी से चोटों, विष के लक्षण व मृत्यु के कारण के बारे में सदैव जानकारी लें।

• प्रयोग किये गये उपकरणों, रसायनों आदि के बारे में जो सहायक स्टाफ द्वारा उपलब्ध कराये गयें हैं, सूचनायें एकत्रित करें।

• अपराध स्थल तथा पीड़िता के कपड़ों से रसायनों एवं विषों की तलाशी करें।

• अपराधिक गर्भपात के मामले में वस्तुयें यथा दवायें, वानस्पतिक पदार्थ, जहर,फीमेल पिल्स आदि खोंजें।

13. शिशु वधः—

• शिशु वध के मामले में चिकित्सा अधिकारी से यह पूछना न भूलें कि बच्चा जीवित पैदा हुआ या मृत।

• बच्चे के पैदा होने तक शिशुवध की सम्भावना बनायें रखें।

• जीवित जन्म तथा मृत दशा की भिन्नता के दृष्टिगत् जो 210 दिवस है।

• मृत्यु की प्रकृति के बारे में चिकित्सा अधिकारी से सुनिश्चित करें।

• वास्तविक दुर्घटना, मृत्यु अथवा प्राकृतिक मृत्यु के कारण की सम्भावना को स्पष्ट करें।

• प्रसव के समय उपस्थित चिकित्सक व नर्सिंग स्टाफ का संबंधित घटना के विषय में कथन रिकार्ड करना न भूलें।

• चिकित्सा अधिकारी से मॉ के रोग, विकृति के विषय में पूछे जो शिशु की मृत्यु का कारण है।

14. सड़क दुर्घटनाः—

• वाहन, वाहन की टक्कर, स्किड चिन्ह को सम्मिलित करते हुये दुर्घटना का फोटोग्राफ लेने की अनदेखी न करें।

• वाहन, शव एवं स्थिर वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति को दिखाते हुये स्कैच बनायें।

• रक्त के धब्बे, स्किड चिन्ह, टायर चिन्ह, ड्रेगिंग चिन्ह, टूटे शीशे के टुकड़ों, पेन्ट आदि के लिये घटनास्थल का निरीक्षण करना कभी न भूलें।

• विवेचना अधिकारी से ड्राइवर/चालक की शिथिलता के बारे में पूछें।

• यांत्रिक त्रुटि के लिये वाहन का परीक्षण मोटर मैकेनिक द्वारा करायें।

• दुर्घटना से पूर्व की वाहन की स्थिति से अवगत होने के लिये चालक का चिकित्सीय परीक्षण अवश्य करायें।

• स्लीपरी, बमी, संकरी, मोड़ होने जैसी सड़क की स्थिति रिपोर्ट में सम्मिलित करना न भूलें।

• घटनास्थल पर कपड़े, रेशे की अनदेखी न करें क्योंकि यह पीड़ित के हो सकते हैं।

• पीड़ित के कपड़ों पर शीशे के टुकड़े, पेन्ट, धातु के टुकड़े, तेल के धब्बे, ग्रीस धूल आदि की तलाश करना न भूलें।

• यदि संदिग्ध वाहन घटनास्थल से दूसरे स्थान पर मिला है तो पादप वस्तुओं की जड़, मिट्टी, धूल की तलाशी करना न भूलें क्योंकि यह घटना से संबंधित हो सकते हैं।

15. संदिग्ध विष प्रकरणः—

• पीड़ित की अवस्था, बीमारी की स्थिति को विष प्रकरण में कदापि न भूलें।

• विष के प्रकरण में, यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि इसे कहॉ से प्राप्त किया गया, कैसे रखा गया, किस प्रकार से प्रयोग किया गया और पीड़ित में विष की कितनी घातक उपस्थिति है।

• घटनास्थल पर पीड़ित के कपड़ों पर उल्टी किये गये पदार्थों को देखे व उसमें विष की विशेष गन्ध पर ध्यान दें।

• घटनास्थल एवं उससे लगे क्षेत्र में विष कन्टेनर, दवाइयों के रैपर व सीरेंज आदि की तलाश करना न भूले।

• विष के भाग, बचे हुए खाने, एल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक को विष लेने हेतु साक्ष्य के रूप में खोजें।

• पीड़ित के मुँह से आ रही विशेष गन्ध, रक्तयुक्त झाग की विशेष गंध को देखें।

• यदि पीड़ित अस्पताल में भर्ती हो तो चिकित्सक से इलाज की जानकारी लें।

• पोस्टमार्टम परीक्षण के बिना मृत्यु विष से हुयी या नहीं निर्धारण कभी न करें।

• विष परीक्षण हेतु पोस्टमार्टम प्रदर्श जैसे विसरा, रक्त, स्टमक, कन्टेन्ट्स संरक्षित रखना न भूलें।

• संदिग्ध विष प्रकरण में चिकित्सक द्वारा हड्डी, नाखून, बालों का संरक्षण करना न भूलें।

• यदि विष किसी सीरेन्ज द्वारा दिया गया हो तो चिकित्साधिकारी द्वारा इन्जेक्टेड भाग से त्वचा प्रिजर्व कराना न भूलें।

16. आग्नेयास्त्र के मामलेः—

• आग्नेयास्त्र को हैंडिल करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि यह भरा हुआ है या खाली है।

• आग्नेयास्त्र को हमेशा सावधानीपूर्वक हैंडिल करें ताकि इस पर उपस्थित ॲगुलिचिन्ह खराब न हो।

• आत्महत्या के मामले में आग्नेयास्त्र लाश के नजदीक और कुछ मामलों में मृतक के कार्य करने वाले हाथ में हो सकता है इसे कभी न भूलें।

• यदि आग्नेयास्त्र लाश से कुछ दूरी पर हो तो यह आत्महत्या की कहानी से अलग हो सकता है इसे याद रखें।

• एन्ट्रीबुन्ड के चारों तरफ जलने, झुलसने, कालेपन व गोदने आदि के निशानों को कभी न भूले।

• यह हमेशा याद रखे कि गनशाट रेजेड्यू मृतक के हाथों, कपड़ों और उसके पास वस्तुओं पर हो तो उसे संकलित करना चाहिए।

• नजदीक से फायर होने पर आग्नेयास्त्र के ऊपर रक्त, झुलसे बाल व त्वचा के टुकड़े आदि पाये जा सकते हैं।

• खाली कारतूसों, गोलियों आदि को धातु की चिमटी से कभी नहीं उठाया जाना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा नये चिन्ह विकसित हो सकते हैं।

• आत्महत्या प्रकरणों में गनशाट बुन्ड शरीर के किसी भाग पर हो सकता है।

• चिकित्साधिकारी से जो गोली या छरे शरीर में है किन्तु प्राप्त नहीं हुये हैं उनकी स्थिति ज्ञात करने के बारे में पूछना चाहिए।

• आग्नेयास्त्र को कैपिंग के द्वारा सुरक्षित करना चाहिए न कि कपड़े से।

• पैकिंग के पूर्व आग्नेयास्त्र का मेक, मॉडल, कैलीवर व सीरियल नं0 नोट करना चाहिए।

17. विस्फोट के मामलेः–

• अचानक विस्फोट हुये क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए क्योंकि क्षेत्र में विस्फोट होने वाली डिवाइसेस मौजूद हो सकती है।

• विस्फोटक विशेषज्ञ के बिना विस्फोट से संबंधित घटनास्थल का निरीक्षण नहीं करना चाहिए।

• जीवित बमों एवं विस्फोटक डिवाइसेस को हैंडिल नहीं करना चाहिए ऐसे मामलों में बम डिस्पोजल दस्ते की सहायता हमेशा लेनी चाहिए।

• विशेषज्ञ के अतिरिक्त किसी को भी कोई भी वस्तु हैंडिल नहीं करने देना चाहिए।

• संदिग्ध बम/विस्फोटक डिवाइसेज के पास प्रकाश व धुँयेयुक्त पदार्थ नहीं ले जाना चाहिए।

• विस्फोटक पदार्थ की तलाशी हेतु संदिग्ध के कपड़े, जूते, वाहन, मकान, कार्य करने के स्थान की तलाशी लेना न भूलें।

• अपराधी के कार्यालय, आवास, वर्कशाप से विस्फोटक बनाने से संबंधित रसायन आदि को खोजना न भूलें।

• इनीसियेटिंग तथा डेटोनेटिंग डिवाइसेस को अलग–अलग पैक करना हमेशा याद रखें।

• खतरनाक विस्फोटक जैसे मरकरी फल्मीनेट या लेड एजाइड को परीक्षण हेतु कभी न भेजें बल्कि इनके परीक्षणहेतु विशेष वाहक/विशेषज्ञ को अपराध स्थल पर बुलायें।

• देशी बमों को 72 घण्टों तक पानी में रखने के बाद पानी से भरे कन्टेनर में भेजें।

18. नकबजनीः–

• फिंगर प्रिन्ट विशेषज्ञ को नकबजनी के मामलों में संभावित फिंगर प्रिंन्ट्स को लोकेट करने, विकसित करने एवं लिफ्ट करने को हमेशा कहें।

• मकान या दुकान के आस–पास टायर के चिन्हों, दरवाजों का खिड़कियों पर औजारों के चिन्ह, फर्श पर पद चिन्ह एवं जूतों के निशान को हमेशा देखें।

• अपराधस्थल पर सिगरेट एवं बीड़ी के टुकड़ों, पान मसाला पाउचों की अनदेखी न करें।

• अपराधी द्वारा अपराधस्थल पर उससे संबंधित वस्तु/औजार को हमेशा देखें।

• यह याद रखें कि अपराधी घटनास्थल पर शराब की बोतल, डिसपोजेबल ग्लास, खाने का सामान, समाचार पत्र छोड़ सकता है।

• चोरी हुई सम्पत्ति से विशेष पदार्थों को जो संदिग्ध के कपड़ों, जूतों एवं वाहन पर हो को खोजना न भूलें।

• यदि संदिग्ध से औजार बरामद होता है तो पेन्ट, डिस्टेम्पर जो अक्सर दरवाजों, खिड़कियों एवं अल्मारियों से ट्रान्सफर होता है कि जॉच करें।

• अपराधी के फिंगर प्रिंट, पद चिन्ह जूतों के निशानों के नमूना लेना न भूले। जो अपराधी के जूतों एवं वाहन से प्राप्त हुये हैं।

• पद चिन्ह, जूतों के निशान टायर चिन्ह एवं औजारों के चिन्हों की फोटोग्राफी करते समय स्केल का प्रयोग कभी न भूले।

19. आगजनी व आग से संबंधित मामलेः–

• प्रथमतः आगजनी को दुर्घटना कभी न मानें जब तक सिद्ध न हो जाय।

• डेमेज, स्मोक पैटर्न और विदेशी वस्तुओं को सम्मिलित करते हुये घटनास्थल की फोटोग्राफी करना न भूलें।

• मकान मालिक से मकान का नक्शा जिसमें कमरे, दरवाजे, खिड़कियॉ, लिफ्ट व अन्य बनावट दर्शायी गयी हो का विवरण के बारे में पूॅछने में संकोच न करें।

• निरीक्षण करते समय विशेषज्ञ जैसे बिजली–इन्सटालेशन, ऊष्मीय उपकरणों और अन्य वस्तुओं के विशेषज्ञों की सहायता लेना कभी न भूले।

• आग की शुरूआत एवं बन्द होने के सम्भावित समय की सूचना न लेना भूलें।

• पदचिन्हों, जूतों के निशान, टूलमार्कस जो प्रवेश एवं निर्गम बिन्दुओं पर हो की सम्भावना को न भूलें।

• फ्यूज कार्ड, विस्फोटक डिवाइसेस के अवशेष, रिमोट के भाग तथा जलने के अवशेषों (इनीसियेटर) को संकलित करना न भूलें।

• घटनास्थल पर, विस्फोटक पदार्थों, रसायनों या ज्वलनशील पदार्थों की विशेष गंध की अनदेखी न करें।

• ज्वलनशील पदार्थों जैसे पेट्रोल, डीजल तथा कैरोसीन, मिट्टी, सतह के अवशेष, धुँये तथा राख का जमाव, जले कपड़े एवं पेपर को हमेशा संकलित करें।

• यदि विद्युत सप्लाई की टेम्परिंग हो तो बिजली इंजीनियर की सहायता लेने में संकोच न करें।

• ज्वलनशील पदार्थों से संबंधित सभी अवशेषों को वायुरोधी पालीथीन या प्लास्टिक बैग में पैक करें।

20. जाली करेन्सी सिक्के व नोटः–

• तॉबे व उसकी मिश्रधातु के कारण जाली सिक्के अलग तरीके की आवाज एवं रिंगवेल उत्पन्न करते हैं।

- अपराधी तथा घटनास्थल से असली एवं अर्धनिर्मित सिक्के साथ–साथ संकलित करना न भूले।
- सिक्के बनाने के ब्लाक, फोटोग्राफिक प्लेट्स, फिल्मों एवं प्रिन्टिंग कागज तथा कापर एवं जिंक की प्लेट पर संदिग्ध के ॲगुलिचिन्ह की सम्भावना की अनदेखी न करें।
- विशेषकर विभिन्न आकारों (नोटों के) काटे गये प्रिंन्टिंग कागजों को संकलित करना न भूले।
- घटनास्थल के निर्गम एवं प्रवेश बिन्दुओं पर पदचिन्हों तथा जूतों के निशानों को देखना न भूलें।
- लिखावट इम्पलीमेन्ट्स जैसे, पेन, पेंन्सिल, लिथोपेंसिल एवं पेन्टिंग ब्रश की उपस्थिति की अनदेखी न करें।
- संदिग्ध के कपड़ों, बालों, विशेषकर नाखूनों में रंग एवं इंक के अवशेषों की हमेशा खोज करें।

21. प्रश्नगत प्रलेखः–

- नाजुक प्रलेखों की हमेशा असावधानीपूर्वक त्वरित हैडिलिंग न करें, यदि आवश्यकता हो तो इनकी फोटाग्राफी उपयोग करे।
- सूर्य के तीव्र प्रकाश, ऊष्मा तथा नमी में प्रलेखों को खुला नहीं रखना चाहिए क्योंकि वह खराब (सिकुड) हो सकता हैं।
- कभी भी प्रलेखों को अनावश्यक मोड़ना नहीं चाहिए और पैकैट में ही रखकर भेजना चाहिए।
- प्रलेख में पिन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यदि आवश्यक हो तो फाईल बनाने में पेपर क्लिप का प्रयोग करना चाहिए।
- प्रलेख में किसी भी भाग में अन्डर लाईन नहीं करना चाहिए यदि आवश्यक हो तो मूल लेख से अलग रखने के लिए प्रलेख को घेर देना चाहिए।
- प्रलेख के पिछले भाग पर विवरण लिखना चाहिए
- सभी हस्तलेख, टाइप राइटिंग, प्रिन्टिंग तथा मोहर छाप सावधानीपूर्वक अध्ययन करना नहीं भूलना चाहिए।
- प्रलेख की दशा जैसे जला हुआ, फटा हुआ हो उसकी उपेक्षा न करें।
- प्रलेख के बाद के पृष्ठ पर इन्डेटेंशन मार्क (दबाव चिन्ह) हमेशा देखना चाहिए।
- मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में हस्तलेख का नमूना लेना चाहिए और यदि सम्भव हो प्रत्येक पेज उसके द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
- नमूना लेते समय, आलेख (डिक्टेशन) धीमी गति, मध्यम गति तथा तेज गति से लेना न भूलें।
- संदिग्ध को कभी भी विवादित प्रलेख नहीं दिखाना चाहिए।

22. इलेक्ट्रनिक साक्ष्य से संबंधित अपराधः–

- इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों को डील करते समय सामान्य विधि विज्ञान और प्रक्रियात्मक सिद्धान्तों को हमेशा अपनाना चाहिए।
- इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों की खोज, एकत्रण एवं संरक्षण करते समय प्रशिक्षित व्यक्ति की सहायता लेना कभी न भूलें।
- साक्ष्य की स्थिति में कभी परिवर्तन न हो, इसे कभी न ही भूलना चाहिए।
- कम्प्यूटर से डाटा एकत्रित करते समय की–बोर्ड को छूना व माउस को क्लिक करना उचित नहीं है।
- संबंधित व्यक्ति से सूचनायें लेना कभी न भूलें।
- इलेक्ट्रानिक उपकरण के मालिक तथा कार्य करने वाले का नाम एवं पासवर्ड नोट करना कभी न भूलें।
- डिस्ट्रक्टिव डिवाइसेस से संबंधित विशेष सिक्योरिटी स्कीम तथा डाटा स्टोरेज से संबंधित किसी कार्यालय की सूचनाय, हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर सिस्टम का स्पष्ट विवरण लेना न भूलें।
- मानीटर, कम्प्यूटर मशीन (सी0पी0यू0), प्रिन्टर आदि जो भ एसेसरीज डिवाइसेस घटनास्थल पर प्राप्त होती हैं को रिकार्ड करना कभी न भूलें।
- मानीटर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही सूचनाओं की फोटोग्राफी हमेशा करें।
- कम्प्यूटर से पावर को हमेशा अलग कर दें।
- डिवाइस का मेक, माडल एवं क्रम सं0 रिकार्ड करना न भूलें।
- सभी केबिल्स के किनारों को मार्क एवं लेबिल करें।
- चुम्बकीय वस्तुओं को एन्टीमैगनेटिक कन्टेनर जैसे पेपर या प्लास्टिक बैग में पैक करें।
- प्रत्येक कम्प्यूटर सिस्टम को अलग–अलग पैक करें क्योंकि एक दूसरे से समानता रख सकते है।

23. डीएनए प्रोफाइलिंगः–

- छोटे से छोटा जैविक पदार्थ डीएनए प्रोफोइलिंग हेतु अहम हो सकता है।
- जीवित व्यक्ति से जैविक पदार्थ चिकित्सा अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाना चाहिए।
- जैविक पदार्थ को रिफ्रीजिरेटर में 4^0C तापमान पर रखना कभी न भूलें एवं यथाशीघ्र (अविलम्ब) प्रयोगशाला प्रेषित करें।
- रक्त रंजित कपड़े एवं रक्त का स्वाब हवा में सुखाकर पैक करना चाहिए।
- रक्त के नमूनों को उचित एन्टीकागुलेन्ट यथा EDTA में संरक्षित करना चाहिए।
- वायुरोधी कन्टेनर अथवा प्लास्टिक बैग में गीले रक्त को कदापि पैक न करें।

- पैंकिंग एवं प्रेषण के समय जैविक नमूने की विश्वसनीयता (इन्टीग्रटी) को कभी न भूलें।
- यदि वाहन में रक्त लगा हो तो उसे प्रयोगशाला प्रेषित करने में संकोच न करें।
- याद रखें कि पैकिंग के पूर्व अन्डर गारमेंन्टस, बेडशीट्स, तकिया कवर आदि अन्य नम वस्तुओं को छायादार स्थान में सुखायें।
- वीर्य से संबंधित साक्ष्य यथा विजाइनल स्लाइड, प्यूबिक हेयर आदि पीड़िता से एकत्रित करने हेतु सदैव चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित करना न भूलें।
- खींचे गये, गिरे हुये बालों को डीएनए प्रोफाइलिंग के लिये एकत्रित करें।
- सफल परिणाम हेतु 10 से 20 जड़ सहित बाल एकत्रित करना न भूले।
- सभी भागों से बाल परीक्षण हेतु एकत्र कर अलग–अलग पैक करें।
- पैकिंग के पूर्व ध्यान रखें कि बाल सूखे हुये रक्त, टिशू व वीर्य में न मिलें।
- यदि विवेचना में आवश्यक हो तो पोस्टमार्टम नमूनों को डीएनए प्रोफाइलिंग हेतु एकत्र करने को कहें।

डूबकर हुई मौतः–

- जब कोई व्यक्ति पानी में डूबता है तो श्वसन क्रिया के साथ फेफड़ों में पानी चला जाता है और फेफड़ों की थैलियों में पानी एवं वायु भर जाती है जिससे इसकी रक्त कोशिकायें व झिल्ली फट जाती है। इस प्रकार पानी में उपस्थित डायटम रक्त प्रवाह के साथ शरीर के विभिन्न भागों एवं ऊतकों में पहुँच जाते हैं यदि फेफड़ों से दूरस्थ अंगो जैसे मस्तिष्क तथा अस्थि मज्जा में डायटम की उपस्थिति पायी जाती है तो यह पानी में डूबने से मृत्यु की पुष्टि करता है।
- डायटम परीक्षण हेतु फीमर या टिबिया हड्डी (लगभग 2 X 3 cms लम्बी) तथा उस स्थान के पानी की आवश्यकता होती है।
- यदि किसी स्थान से शव बरामद होता है जहाँ पानी सूख गया है वहाँ से सूखी मिट्टी का नमूना एकत्र करना चाहिए।

प्रपत्र–1

प्रेषक,

.....

.....

सेवा में,

संयुक्त निदेशक,

विधि विज्ञान प्रयोगशाला,उ0प्र0,

महानगर,लखनऊ–226006

विषयः– लाई–डिटेक्शन अनुभाग ;झूठ खोजद्ध

1.अंकित प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति।

2.पोस्ट मार्टम रिपोर्ट की प्रति। ;यदि पोस्ट–मार्टम हुआ होद्ध

3.संदिग्ध अपराधी से पूछे जाने वाले प्रश्न।

(1)----------

(2)----------

(3)----------

(4)----------

4.संदिग्ध व्यक्ति का बयानः–

(1)----------

(2)----------

(3)----------

5.अभियोग का संक्षिप्त विवरणः–

मु0अप0सं0.....धारा .....

बनाम .....थाना.....

जनपद .....

6.यदि अपराधी गिरफ्तार हो चुका है तो मा0न्यायालय की अनुमति/आदेश का विवरणः–

.....

.....

अग्रेषण अधिकारी के हस्ताक्षर

पूरा नाम–

पदनाम–

सील

दिनांक

परिशिष्ट–1

National Human Rights Commission Guidelines

The National Human Right Commission, after bestowing its careful consideration on this matter of great importance, lays down the

following guidelines relating to the administration of Lie Detector Tests:

(i) No Lie Detector Tests should be administered except on the basis of consent of the accused. An option should be given to the accused whether he/she wishes to avail such test.

(ii) If the accused volunteers for a Lie Detector Tests, he should be given access to a lawyer and the physical, emotional and legal implication of such a test should be explained to him by the police and his lawyer.

(iii) The consent should be recorded before a Judicial Magistrate.

(iv) During the hearing before the Magistrate, the person alleged to have agreed should be duly represented by a lawyer.

(v) At the hearing, the person in question should also be told in clear terms that the statement that is made shall not be a "confessional" statement to the Magistrate but will have the status of a statement made to the police.

(vi) The Magistrate shall consider all factors relating to the detention including the length of detention and the nature of the interrogation.

(vii) The actual recording of the Lie Detector Tests shall be done in an independent agency (such as a hospital) and conducted in the presence of a lawyer.

(viii) A full medical and factual narration of manner of the information received must be taken on record.